राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 152वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 152वीं बैठक दिनांक 04/08/2023 को अपरान्ह 12:00 बजे संपन्न हुई।

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया। तदुपरांत एजेण्डावार कार्यवाही निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–1 — **राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 151वीं बैठक दिनांक 07/07/2023 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 151वीं बैठक दिनांक 07/07/2023 को आयोजित की गई थी।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–2 — **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की 468वीं, 469वीं एवं 470वीं बैठक क्रमशः दिनांक 12/06/2023, 13/06/2023 एवं 14/06/2023 की अनुशंसा के आधार पर गौण/गुप्त खनिजों एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों में निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स किरन्दुल आर्किनी स्टोन क्वारी (प्रो– श्री अब्दुल वहीद सिद्दिकी), ग्राम–किरन्दुल, तहसील–बड़े बचेली, जिला–दन्तेवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1391)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 56476/2021, दिनांक 11/06/2020 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से क्रमांक दिनांक 06/10/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 08/11/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित सफेद पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–किरन्दुल, तहसील–बड़े बचेली, जिला–दन्तेवाड़ा स्थित खसरा क्रमांक 40, कुल क्षेत्रफल–3.379 हेक्टेयर में है। खदान की अनुमोदित उत्पादन क्षमता – 71,843.75 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 22/02/2022 द्वारा अनुशंसीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 468वीं बैठक दिनांक 03/03/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 03/03/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति की सक्षम बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में मांगी गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 41वीं बैठक दिनांक 16/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 46वीं बैठक दिनांक 12/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अब्दुल वहीद सिद्दिकी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं हुआ है। परंतु यह पूर्व के संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है, जिसे लीज वर्ष 1988 से जारी हो गया है। अतः समिति का मत है कि जारी लीज दिनांक से अद्यतन स्थिति (विगत वर्षों से) तक किये गये उत्खनन के संबंध में जानकारी कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. **नगर पालिका परिषद् का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में नगर पालिका परिषद् किरंदुल का दिनांक 08/09/2014 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. **उत्खनन योजना** – खदान प्लान प्रोपोसिंग खदान क्लोजर प्लान एण्ड इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 413/खनिज/उत्खनन/2020–21 दंतेवाड़ा, दिनांक 07/08/2020 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 1178/खनिज/खा. पत्थर/2020–21 दन्तेवाड़ा, दिनांक 05/04/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 7 खदानें, क्षेत्रफल 14.745 हेक्टेयर है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 1178/खनिज/खा.पत्थर/2020–21 दन्तेवाड़ा, दिनांक 05/04/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, पुलिया, मंदिर, मस्जिद, मजार, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्रोत, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 87/खनिज/उ.प्र./2020–2021 दन्तेवाड़ा, दिनांक 20/05/2020 के अनुसार लीज श्री सुनील कुमार हेतिमाल को 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 19/10/1998 से 18/10/2008 तक की अवधि हेतु स्वीकृत थी। तत्पश्चात् छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 1996 के नियम 36(1) के तहत् लीज का हस्तांतरण दिनांक 29/05/2009 को श्री के.सी. शर्मा के नाम पर किया गया है। तत्पश्चात् पुनः लीज का हस्तांतरण दिनांक 11/03/2013 को श्री अब्दुल वाहिद सिद्दिकी (डी.एस. कंस्ट्रक्शन) के नाम पर किया गया है। उक्त प्रकरण का "छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 38 क(4) के तहत् पूर्व स्वीकृत दिनांक 19/10/1998 से अगली 30 वर्ष 18/10/2028 कालावधि के लिए विस्तारित करने हेतु उत्खनित्र्ट का खनन योजना अनुमोदित कराने, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण रायपुर से पर्यावरण सम्मति प्राप्त करने एवं कोई भी खनिज राजस्व बकाया न होने के स्थिति के शर्तों का पालन 06 माह की कालावधि में पूर्ण करने के आधार पर अवधि विस्तार किया जाता है।" बताया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि अतिरिक्त समयावधि के लिए कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा को पत्र प्रेषित किया गया है। समिति का मत है कि अतिरिक्त समयावधि हेतु एल.ओ.आई. क्षेत्रफल वृद्धि की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दन्तेवाड़ा वनमण्डल, दन्तेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक/क.उ.अ.10171 दन्तेवाड़ा, दिनांक 29/12/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 340 मीटर की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–किरन्दुल 2 कि.मी., स्कूल ग्राम–किरन्दुल 2 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–किरन्दुल 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राजमार्ग 14 कि.मी. दूर है। कोतवर नदी 800 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवपारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय

संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 13,68,538 टन, माइनेबल रिजर्व 8,06,047 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 8,58,804 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 7,754 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर (9 मीटर हिलसाईड एवं 6 मीटर गहराई) है। कार्यान्वयन में लीज क्षेत्र के भीतर कचरे मिट्टी अवस्थित नहीं है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 14 वर्ष है। लीज क्षेत्र में अवैध स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	58,800
द्वितीय	60,963
तृतीय	63,735
चतुर्थ	63,960
पंचम	66,992
षष्टम	75,625

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल आपूर्ति हेतु स्रोत एवं संबंधित विभाग/शाखा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा से चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 2,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों (90 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का पाटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा वादी पारुल विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2016 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार किये जाने उपरांत कार्यवाही से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 1176/खनिज/सा.पत्थर/2020–21 दन्तेवाड़ा, दिनांक 06/04/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 7 खदानें, क्षेत्रफल 14.765 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–किरन्दुल) का रकबा 3.379 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–किरन्दुल) को मिलाकर कुल रकबा 18.144 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का कवरेज मिलित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधि. 2015 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लियरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टेण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई–

   i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

   ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

   iii. Project proponent shall submit the LOI (letter of Intent) extension copy.

   iv. Project proponent shall submit the details of water requirement source and shall submit a copy of NOC for usage of water from competent authority.

   v. Project proponent shall submit production detail from 19/10/1996 to till date from the mining department.

   vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

   vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

   viii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

   ix. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

   x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

   xi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

   xii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiii. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.

xiv. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 04/08/2023 को संपन्न 152वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये निम्न अतिरिक्त शर्त के अधीन टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किये जाने का निर्णय लिया गया:–

"Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station, depicted on Topo Sheet of Survey of India."

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

2. **मेसर्स भीतरराम सेण्ड माईन (प्रो.– श्री दीपक गुप्ता), ग्राम–भीतरराम, तहसील–नगरी, जिला–धमतरी (सलिवाडा का नस्ती क्रमांक 1664)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर– एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 288584/2022, दिनांक 20/04/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–भीतरराम, तहसील–नगरी, जिला–धमतरी स्थित खसरा क्रमांक 630, कुल क्षेत्रफल– 4.95 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित रेत उत्खनन क्षमता – 51,808 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 410वीं बैठक दिनांक 08/08/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 08/08/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 420वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 21/09/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 440वीं बैठक दिनांक 12/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 12/01/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 468वीं बैठक दिनांक 12/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति द्वारा विचार कर निम्न स्थिति पाई गई–

1. परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में प्रस्तुतीकरण हेतु 4 अवसर प्रदान किये गये है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बार–बार वांछित जानकारी अपूर्ण होने का लेख करते हुये समय दिये जाने का अनुरोध किया जा रहा है, जिससे समिति का अनावश्यक समय नष्ट हो रहा है।
2. समिति की बैठक दिनांक 08/06/2022 में लिए गये निर्णय अनुसार वांछित जानकारी आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई है।

पूर्व में समिति की अनुशंसा के आधार पर प्राधिकरण की 148वीं बैठक दिनांक 22/09/2023 में लिये गये निर्णय अनुसार "जो परियोजना प्रस्तावक दो बार प्रस्तुतीकरण हेतु अनुपस्थित रहेंगे उनको तीसरी बार की बैठक में उपस्थित नहीं होने

की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक के ऑनलाईन आवेदन को पोर्टल से डि–लिस्ट/निरस्त करने का निर्णय एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ द्वारा लिया जायेगा" है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 04/08/2023 को संपन्न 662वी बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रारूप में यथावत् डि–लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. **मेसर्स भौरा क्वार्ट्ज स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री विपिन चौहान), ग्राम–भौरा, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया (संचालनालय का नस्ती क्रमांक 1840)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 257882/2022, दिनांक 30/03/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 22/04/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी दिनांक 14/05/2022 को प्राप्त हुई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–भौरा, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 402, कुल क्षेत्रफल–1.1 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–7,800 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 413वीं बैठक दिनांक 29/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 29/06/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया का कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सूचनात्मक जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 21/09/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में मांगी गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 448वीं बैठक दिनांक 12/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 12/01/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में मांगी गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 468वीं बैठक दिनांक 12/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 12/06/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि कृषानोलन कार्य एवं वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा विचार कर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में प्रस्तुतीकरण हेतु 4 अवसर प्रदान किये गये है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बार-बार अपरिहार्य कारणों/वांछित जानकारी अपूर्ण होने का लेख करते हुये समय दिये जाने का अनुरोध किया जा रहा है, जिससे समिति का अनावश्यक समय नष्ट हो रहा है।
2. समिति की बैठक दिनांक 29/08/2022 में लिए गये निर्णय अनुसार वांछित जानकारी आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई है।

पूर्व में समिति की अनुशंसा के आधार पर प्राधिकरण की 148वीं बैठक दिनांक 22/05/2023 में लिये गये निर्णय अनुसार "जो परियोजना प्रस्तावक दो बार प्रस्तुतीकरण हेतु अनुपस्थित रहेंगे उसके तीसरी बार की बैठक में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक के ऑनलाईन आवेदन को पोर्टल से डि-लिस्ट/निरस्त करने का निर्णय एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ द्वारा लिया जायेगा" है।

समिति द्वारा विचार निम्नतः उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 04/08/2023 को संपन्न 152वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार निम्नतः उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव की वर्तमान में प्राप्त प्रकरण में यथावत् डि–लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. **मेसर्स बुंदेली क्वार्ट्ज स्टोन क्वारी (मै.– श्री पुष्पर चौहान), ग्राम–बुंदेली, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1608)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 257436/2022, दिनांक 19/02/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 22/02/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा इंगित वांछित जानकारी दिनांक 14/03/2022 को प्राप्त हुई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (लीज खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बुंदेली, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 487, कुल क्षेत्रफल–0.8 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–8,942 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 412वीं बैठक दिनांक 28/06/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 28/06/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 423वीं बैठक दिनांक 21/09/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 21/08/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ग) समिति की 44वीं बैठक दिनांक 12/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 12/01/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(घ) समिति की 46वीं बैठक दिनांक 12/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 12/06/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि ज्ञापनीय कार्य एवं वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा विचार कर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में प्रस्तुतीकरण हेतु 4 अवसर प्रदान किये गये हैं। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बार-बार अपरिहार्य कारणों/वांछित जानकारी अपूर्ण होने का लेख करते हुये समय दिये जाने का अनुरोध किया जा रहा है, जिससे समिति का अनावश्यक समय नष्ट हो रहा है।
2. समिति की बैठक दिनांक 28/06/2022 में लिए गये निर्णय अनुसार वांछित जानकारी आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई है।

पूर्व में समिति की अनुशंसा के आधार पर प्राधिकरण की 148वीं बैठक दिनांक 22/08/2023 में लिये गये निर्णय अनुसार "जो परियोजना प्रस्तावक दो बार प्रस्तुतीकरण हेतु अनुपस्थित रहेंगे उनकी तीसरी बार की बैठक में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक के ऑनलाईन आवेदन को पोर्टल से डि-लिस्ट/निरस्त करने का निर्णय एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ द्वारा लिया जायेगा" है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आवेदित प्रकरण को डि-लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – प्रस्तावित प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 04/08/2023 को संपन्न 152वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रारूप में यथावत् डि–लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. **मेसर्स ओकारी आर्डिनरी स्टोन क्वॉरी (प्रो.– श्री अमर कुमार सोनी), ग्राम–ओकारी, तहसील–कुनकुरी, जिला–जशपुर (लोकेशन का नक्शा क्रमांक 2070)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 77811/2022, दिनांक 06/06/2022 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (मॉस स्टोन) खदान है। ग्राम–ओकारी, तहसील–कुनकुरी, जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 401/1, कुल क्षेत्रफल–4.0 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,00,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 17/10/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में मांगी गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 440वीं बैठक दिनांक 12/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 12/01/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ङ) समिति की 468वीं बैठक दिनांक 12/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 12/08/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि पूर्वानुमान कार्य एवं वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा विचार कर निम्न स्थिति पाई गई–

1. परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में प्रस्तुतीकरण हेतु 3 अवसर प्रदान किये गये है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बार-बार अनिवार्य कागजों/वांछित जानकारी अपूर्ण होने का लेख करते हुये समय दिये जाने का अनुरोध किया जा रहा है, जिससे समिति का अनावश्यक समय नष्ट हो रहा है।
2. समिति की बैठक दिनांक 17/10/2022 में लिए गये निर्णय अनुसार वांछित जानकारी आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई है।

पूर्व में समिति की अनुशंसा के आधार पर प्राधिकरण की 148वीं बैठक दिनांक 22/08/2023 में लिये गये निर्णय अनुसार "जो परियोजना प्रस्तावक दो बार प्रस्तुतीकरण हेतु अनुपस्थित रहेंगे उसको तीसरी बार की बैठक में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक के ऑनलाईन आवेदन को पोर्टल से डि-लिस्ट/निरस्त करने का निर्णय एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ द्वारा लिया जायेगा" है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आवेदित प्रकरण को डि-लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 04/09/2023 को संपन्न 150वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त क्रम में यथावत् डि-लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. **मेसर्स अमित मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड (प्रो.-श्री प्रदीप कुमार वर्मा), ग्राम-सीधा, तहसील-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2087)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 276883/2022, दिनांक 22/08/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रकरण का विवरण – यह पूर्व से संचालित खपराल पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम–गेरा, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 37, कुल क्षेत्रफल– 1.17 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–5,249.4 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 438वीं बैठक दिनांक 27/10/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 27/10/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 446वीं बैठक दिनांक 12/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 12/01/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 468वीं बैठक दिनांक 12/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 12/06/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा विचार कर निम्न स्थिति पाई गई–

1. परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में प्रस्तुतीकरण हेतु 3 अवसर प्रदान किये गये हैं। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बार–बार अपरिहार्य कारणों/वांछित जानकारी अपूर्ण होने का लेख करते हुये समय दिये जाने का अनुरोध किया जा रहा है, जिससे समिति का अनावश्यक समय नष्ट हो रहा है।
2. समिति की बैठक दिनांक 27/10/2022 में लिए गये निर्णय अनुसार वांछित जानकारी आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई है।

पूर्व में समिति की अनुशंसा के आधार पर प्राधिकरण की 148वीं बैठक दिनांक 22/06/2023 में लिये गये निर्णय अनुसार "जो परियोजना प्रस्तावक दो बार प्रस्तुतीकरण हेतु अनुपस्थित रहेंगे उनको तीसरी बार की बैठक में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक के ऑनलाईन आवेदन को पोर्टल से डि–लिस्ट/निरस्त करने का निर्णय एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ द्वारा लिया जायेगा" है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 04/08/2023 को संपन्न 152वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रारूप में स्वतः डि–लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (तथा संशोधित) एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. **मेसर्स तारलागुड़ा–1 सैण्ड माईन (सहित/सलंग्न, ग्राम पंचायत कोलुर), ग्राम–तारलागुड़ा, तहसील–भोपालपट्टनम, जिला–बीजापुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2386)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 428042/2023, दिनांक 04/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत (मीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम–तारलागुड़ा, ग्राम पंचायत कोलुर, तहसील–भोपालपट्टनम, जिला–बीजापुर स्थित खसरा क्रमांक 55/1, कुल क्षेत्रफल–3.15 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन गोदावरी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित रेत उत्खनन क्षमता–50,278 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 468वीं बैठक दिनांक 13/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जी. श्रीनिवास, सचिव, ग्राम पंचायत कोलुर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कोलुपुर का दिनांक 23/01/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **चिह्नांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

4. **उत्खनन योजना** – माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप-संचालक (खा. ई.), जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 752/खनिज/उत्खा.यो.अनु./रेत/2023-24 कांकेर, दिनांक 24/04/2023 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 252/रेत/खनिज/2023 बीजापुर, दिनांक 21/04/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 250/रेत/खनिज/2023 बीजापुर, दिनांक 21/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **एन.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एन.ओ.आई. खनिज/रेतपंच, ग्राम पंचायत कोलुपुर के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 210/रेत/खनिज/ई.ओ./2023 बीजापुर, दिनांक 10/04/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है। जारी एन.ओ.आई. में "रेत खदान उत्खनियट्टा अवधि 5 वर्ष की स्वीकृति के लिए निम्नलिखित शर्तों के पूर्ति हेतु यह आशय पत्र जारी किया जा रहा है।" का उल्लेख है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमंडलाधिकारी, बीजापुर वनमंडल, जिला-बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक/ए.अ./1303 बीजापुर, दिनांक 28/02/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2016 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-तारलागुड़ा 1.2 कि.मी., स्कूल ग्राम-कोलुपुर 4 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-तारलागुड़ा 4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3.2 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 720 मीटर, न्यूनतम 682 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 325 मीटर, न्यूनतम 310 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 123 मीटर, न्यूनतम 96 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 75 मीटर, न्यूनतम 43 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए (जो भी अधिक हो)।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा 50,278 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 4 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3.34 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंजीयन प्रस्तुत किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 20/04/2023 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **नॉन माईनिंग क्षेत्र** – नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 720 मीटर, न्यूनतम 682 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 75 मीटर, न्यूनतम 43 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। उपरोक्तानुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी छोड़ते हुये 6,361 वर्गमीटर नॉन माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 2.513 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त का उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
6.29	2%	0.12	Following activities at Nearby, Village- Tarlaguda	
			Plantation in village pond boundary	0.25
			Total	0.25

सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर कुल 50 नग पौधों को रोपण किया जाएगा। वृक्षारोपण हेतु (कदम, पीपल, नीम, आम, जामुन, आदि) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 2,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 20,000 रूपये, खाद के लिए राशि 500 रूपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 24,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,400 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया

है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत कोलूर के सहमति उपरांत कब्रगोरा स्थान (खसरा क्रमांक 61/1, क्षेत्रफल 1.824 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

16. **वृक्षारोपण कार्य** – नदी तट पर (बड़, पीपल, नीम, करंज, आम, कदंब, जामुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,000 नग पौधों के लिए राशि 60,000 रुपये, पौधिन के लिए राशि 14,500 रुपये, खाद के लिए राशि 5,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए राशि 18,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 1,57,500 रुपये प्रथम वर्ष में एवं कुल राशि 1,04,000 रुपये आगामी 4 वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

17. समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के पीला पैर माईनिंग क्षेत्र में सीमा स्तंभ लगाया जाना आवश्यक है। लीज क्षेत्र के चारों कोनों तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेंट के खम्भे गड़ाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।

18. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

19. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तालाबंदी आंकड़ों का सम्मावेश नहीं किया गया है। गोदावरी नदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवंटित खदान (ग्राम-तालागुड़ा) का रकबा 3.150 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान की-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं वृहत जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

3. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित दिए बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े ताकास एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जावें।

ii. पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं चिह्न बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर किया जायेगा।

iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 5 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अप्रैल 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

4. समिति द्वारा विचार किये उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स तारलागुड़ा–1 सेण्ड माईन (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत कोतुर), पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 56/1, ग्राम–तारलागुड़ा, ग्राम पंचायत कोतुर, तहसील–भोरमदेव, जिला–कबीरधाम, कुल लीज क्षेत्रफल 2.15 हेक्टेयर में से माईनिंग प्लान अनुसार गैर माईनिंग क्षेत्र 0.361 हेक्टेयर क्षेत्र कम करने पर 1.5139 हेक्टेयर उत्खनन हेतु कि क्षेत्र का कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 37,700 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग पाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

5. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।

6. ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत् 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 04/08/2023 को संपन्न 152वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार किये उपरांत सर्वसम्मति** से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये मेसर्स तारलागुड़ा–1 सेण्ड माईन (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत कोतुर) को पर्यावरणीय स्वीकृति, **खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से 05 वर्ष तक की अवधि हेतु** दिये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

8. **मेसर्स लखनपुर सैण्ड माईन (प्रो.– श्री भुपेन्द्र सिंह ठाकुर), ग्राम–लखनपुर, तहसील व जिला–बिलासपुर (खसिहालय का नक्शी क्रमांक 2402)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर– एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 426382/2023, दिनांक 08/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–लखनपुर, तहसील व जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 1, कुल क्षेत्रफल–4.0 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन अरपा नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–81,462 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 08/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 468वीं बैठक दिनांक 13/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री भुपेन्द्र सिंह ठाकुर, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पेण्ड्रवन (उ) का दिनांक 20/08/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. **उत्खनन योजना** – रीवर बेड सैण्ड माईन प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्रका.), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 207/खनि/रेत/उत्खनन प्लान/2023 बिलासपुर, दिनांक 20/04/2023 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 211/खनि/रेत/प्रमाण पत्र/2023 बिलासपुर, दिनांक 21/04/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 211/खनि/रेत/प्रमाण पत्र/2023 बिलासपुर, दिनांक 21/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। ग्रामीण कच्ची सड़क 150 मीटर दूर है।
7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री भुपेन्द्र सिंह ठाकुर के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 3288/खनि/रेत नीलामी/2023 बिलासपुर, दिनांक 14/04/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक है। जारी

एस.ओ.आई. में "उत्खनन पट्टा अवधि 2 वर्ष की स्वीकृति के लिए निम्नलिखित शर्तों के पूर्ति हेतु यह आशय पत्र जारी किया जा रहा है।" का उल्लेख है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि टोपोशीट क्रमांक 64J/3 और 64J/4 के आधार पर आवेदित भूमि से उत्तर की ओर लगभग 8 किलोमीटर पर रतनपुर प्रोटेक्टेड फारेस्ट दर्शित होती है। इसलिए वनमंडल अधिकारी की अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इसी कारण से कार्यालय जिला कलेक्टर खनन शाखा द्वारा भी आशय पत्र स्वीकृत करते समय एवं खदान योजना के अनुमोदन/स्वीकृति के समय वनविभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया। मूलतः मैप में आवेदित भूमि से अचानकमार टाइगर अभ्यारण्य की आकलीय दूरी 18 कि.मी. दर्शित होती है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-लखनपुर 340 मीटर, स्कूल ग्राम-लखनपुर 510 मीटर एवं अस्पताल बिलासपुर 14.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 13.8 कि.मी. दूर है। नाला 1.85 कि.मी., नहर 5.15 कि.मी., बांध 8.7 कि.मी. एवं तालाब 420 मीटर दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 180 मीटर, न्यूनतम 100 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 881 मीटर, न्यूनतम 213 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 73 मीटर, न्यूनतम 29 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 45 मीटर, न्यूनतम 20 मीटर है।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3.75 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1.75 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा-81,462 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3.75 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु गणना प्रस्तुत किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 28/03/2023 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉम्पोजिट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
34.45	2%	0.68	Following activities at Nearby, Govt. Primary School, Village- Lachhanpur	
			Installation of Separate Water Tank for Drinking	0.23
			Installation of UV Water Filter & Its AMC	0.25
			Running Water Arrangement in School Toilets	0.15
			Donation of Books Related to Environment Conservation and Steel Almira	0.10
			Total	0.73

15. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

16. **वृक्षारोपण कार्य** – नदी तट में 750 नग एवं पहुंच मार्ग में 250 नग (कुल 1,000 नग) वृक्षारोपण करने हेतु प्रस्ताव दिया गया है जो निम्नानुसार है–

विवरण		प्रथम (लाखों)	द्वितीय (लाखों)	तृतीय (लाखों)	चतुर्थ (लाखों)	पंचम (लाखों)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल एकत्रीकरण के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव		50,000	50,000	–	–	–
नदी तट एवं पहुंच मार्ग में (1,000 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (80 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	1,00,000	–	–	–	–
	कंटिंग हेतु राशि	1,50,000	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	सिंचाई एवं रख–रखाव	1,30,000	1,30,000	1,30,000	1,30,000	1,30,000

	हेतु राशि					
कुल राशि = 14,00,000		4,80,000	2,30,000	2,30,000	2,30,000	2,30,000

17. जीरो क्षेत्र के चारों ओर तथा सीमा लाईन के नक्शे में सीमेंट के खम्भे गाड़ना आवश्यक है ताकि जीरो क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।

18. परियोजना से भिन्न-भिन्न स्थलों से पहुंचिटित डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. खदान क्षेत्र के आस-पास नदी तट एवं पहुंच मार्ग में सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

24. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किया जायेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु कि-स्तरीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित कि-स्तरीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

27. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे उच्च भारी वाहन की श्रेणी के

है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1.75 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। अपवा नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खदान (ग्राम-लच्छनपुर) का रकबा 4.9 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत मार्ग अध्ययन (Situation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

3. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

   ii. पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2023, 2024, 2025 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स लच्छनपुर सेण्ड माईन (प्रो- श्री भुवनेश सिंह ठाकुर), खसरा क्रमांक -1, ग्राम-लच्छनपुर, तहसील व जिला-बिलासपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.9 हेक्टेयर क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 49,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दो वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों/यंत्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज

क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग पाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

5. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।

6. इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 04/08/2023 को संपन्न 152वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत कार्यसूची से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये मेसर्स लखनपुर सेण्ड माईन (प्रो.– श्री भुपेन्द्र सिंह ठाकुर) को पर्यावरणीय स्वीकृति, **खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु** दिये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

9. मेसर्स जलना सेण्ड माईन (सरपंच, ग्राम पंचायत जलना), ग्राम–जलना, तहसील–उदयपुर, जिला–सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2405)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 428430/2023, दिनांक 08/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत (मीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम–जलना, ग्राम पंचायत जलना, तहसील–उदयपुर, जिला–सरगुजा स्थित खसरा क्रमांक 1456, कुल क्षेत्रफल–5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन पेंडर नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित रेत उत्खनन क्षमता–99,814 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 468वीं बैठक दिनांक 13/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती कंचनी सिंह ठाकुर, सरपंच, ग्राम पंचायत जलना उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत जजगा का दिनांक 08/07/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

4. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1280/खनि. 2/ख्या/2023 रायगढ़, दिनांक 03/05/2023 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 508/खनिज/ख.नि. 3/रेत/2023 अंबिकापुर, दिनांक 28/04/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 508/खनिज/ख. नि. 3/रेत/2023 अंबिकापुर, दिनांक 28/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. मनपांग, ग्राम पंचायत जजगा के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 448/खनिज/ख.नि.3/रेत/2023 अंबिकापुर, दिनांक 13/04/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है। जारी एल.ओ.आई. में "5 वर्ष की अवधि के लिए रेत उत्खनन पट्टा की स्वीकृति प्रदान करने हेतु निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति किये जाने आशय पत्र (LOI) जारी किया जाता है।" का उल्लेख है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–जजगा 350 मीटर, स्कूल ग्राम–जजगा 3 कि.मी. एवं अस्पताल उदयपुर 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.3 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 28 कि.मी. दूर है। प्रस्तावित रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 242 मीटर, न्यूनतम 176 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 800 मीटर, न्यूनतम 300 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 83 मीटर, न्यूनतम 43 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 50 मीटर, न्यूनतम 22 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर

अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए (जो भी अधिक हो)।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा 88,914 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3.7 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 26/04/2023 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

14. **नॉन माईनिंग क्षेत्र** – नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 242 मीटर, न्यूनतम 175 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 50 मीटर, न्यूनतम 22 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। उपरोक्तानुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी छोड़ते हुये 43 हेक्टेयर नॉन माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 4.2857 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त का उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

15. समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के भीतर नॉन माईनिंग क्षेत्र में सीमा स्तंभ लगाया जाना आवश्यक है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
7.04	2%	0.15	Following activities at Nearby, Village- Jajga	
			Plantation with Fencing around Village Pond & 5 year AMC	0.35
			Total	0.35

सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम–जटमा के तालाब के चारों तरफ (नीम, आम, जामुन, कदंब, पीपल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 नग पौधों के लिए राशि 2,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 20,000 रूपये, खाद के लिए राशि 500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 3,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 26,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 9,400 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

17. **वृक्षारोपण कार्य** – नदी तट पर कुल 1,000 नग पौधे वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 80,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 74,500 रूपये, खाद के लिए राशि 5,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 18,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,57,500 रूपये एवं आगामी 4 वर्ष हेतु कुल राशि 1,04,000 रूपये घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

18. लीज क्षेत्र के चारों कोनों तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेंट के खम्भे गड़वाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।

19. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

20. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावे। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। रेहर नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आलोचित खदान (ग्राम–जटमा) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थित/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत नाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाढ़ सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

3. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

ii. पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 5 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

4. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन एवं वन क्षेत्र से निर्धारित दूरी से अधिक होने पर ही पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

5. समिति द्वारा विचार किया उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स जजगा सेण्ड माईन (लघुपंच, ग्राम पंचायत जजगा), खसरा क्रमांक – 1456, ग्राम–जजगा, ग्राम पंचायत जजगा, तहसील–उदयपुर, जिला–सरगुजा, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर में से माईनिंग प्लान अनुसार गैर माईनिंग क्षेत्र 43 डमीमीटर क्षेत्र कम करने पर 4.9957 हेक्टेयर उत्खनन हेतु कैच क्षेत्र का कुल 80 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 49,900 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों/बसों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।

7. ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 80 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 04/08/2023 को संपन्न 182वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–**

1. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर, जियोटेग फोटोग्राफ सहित जानकारी ऑनलाईन रिपोर्ट में उपलब्ध किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स प्रतापगढ़ सेण्ड क्वारी (सरपंच, ग्राम पंचायत प्रतापगढ़), ग्राम–प्रतापगढ़, तहसील–सीतापुर, जिला–सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2436)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 438432/2023, दिनांक 08/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–प्रतापगढ़, ग्राम पंचायत प्रतापगढ़, तहसील–सीतापुर, जिला–सरगुजा स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1122, कुल क्षेत्रफल–12.86 हेक्टेयर में से 6 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन मशीन से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित रेत उत्खनन क्षमता–95,788 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(a) समिति की 468वीं बैठक दिनांक 13/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती कमला बाई, सरपंच, ग्राम पंचायत प्रतापगढ़ उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत प्रतापगढ़ का दिनांक 28/01/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

4. **खनन योजना** – माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 282/ख.नि. 2/ब्ला./2023 रायगढ़, दिनांक 03/08/2023 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 513/खनिज/ख.नि. 3/रेत/2023 अंबिकापुर, दिनांक 28/04/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या शून्य है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 511/खनिज/ख. नि. 3/रेत/2023 अंबिकापुर, दिनांक 28/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. सरपंच, ग्राम पंचायत प्रतापगढ़ के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 343/ख.नि.3/रेत/2023 अंबिकापुर, दिनांक 27/03/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है। जारी एल.ओ.आई. में "5 वर्ष की अवधि के लिए रेत उत्खनन पट्टा की स्वीकृति प्रदान करने हेतु निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति किये जाने आशय पत्र (LOI) जारी किया जाता है।" का उल्लेख है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – तीन सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–प्रतापगढ़ 50 मीटर, स्कूल ग्राम–प्रतापगढ़ 2 कि.मी. एवं अस्पताल प्रतापगढ़ 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 580 मीटर एवं राज्यमार्ग 880 मीटर दूर है। पुल अंतर्राष्ट्रीय में 580 मीटर की दूरी पर है। स्वीकृत रेत खदान से 1 कि.मी. की दूरी तक एनीकट स्थित नहीं है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 166 मीटर, न्यूनतम 113 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 687 मीटर, न्यूनतम 688 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 77 मीटर, न्यूनतम 61 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 22 मीटर, न्यूनतम 5 मीटर है।

13. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई–3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई–2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा 95,788 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3.89 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 21/04/2023 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

15. **नैर माईनिंग क्षेत्र** – नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 166 मीटर, न्यूनतम 113 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 22 मीटर, न्यूनतम 5 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। उपरोक्तानुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी छोड़ते हुये 2,108 वर्गमीटर नैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 4.7884 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त का उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
42.40	2%	0.848	Following activities at Nearby, Village- Pratapgarh	
			Plantation with Fencing around Village Pond & 5 year AMC	0.87
			Total	0.87

सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम–प्रतापगढ़ के तालाब के चारों तरफ (नीम, आम, जामुन, कदंब, पीपल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 5,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 60,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 4,800 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 70,800 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 17,200 रूपये हेतु पटवारवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

17. **वृक्षारोपण कार्य** – नदी तट के किनारे खसरा क्रमांक 1023, रकबा 3.716 हेक्टेयर में से 1 हेक्टेयर पर कुल 1,000 नग वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 70,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,08,300 रुपये, खाद के लिए राशि 10,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए राशि 24,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,12,300 रुपये एवं आगामी 4 वर्ष हेतु कुल राशि 1,28,000 रुपये पटकथार ग्राम का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

18. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

19. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से कराई जाये।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। मण्डल नदी छोटी नदी है तथा इसमें बोल्डर में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. आवेदित खदान (ग्राम-प्रतापगढ़) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) संबंधी सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

3. **लीज क्षेत्र की सतह का केसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तत्पश्चात एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

   ii. पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 500 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (नई गर्मी के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स Levels का मापन किया जाएगा।

iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स Levels के मापन का कार्य आगामी 5 वर्ष तक नियत किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री–मानसून के आंकड़े जनवरी 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

4. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन एवं वन क्षेत्र से निर्धारित दूरी से अधिक होने पर ही पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स प्रतापगढ़ सेण्ड क्वारी (सरपंच, ग्राम पंचायत प्रतापगढ़), पार्ट ओफ खसरा क्रमांक – 1122, ग्राम–प्रतापगढ़, ग्राम पंचायत प्रतापगढ़, तहसील–सीतापुर, जिला–सरगुजा, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर में से माईनिंग प्लान अनुसार गैर माईनिंग क्षेत्र 2,100 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 4.7894 हेक्टेयर उत्खनन हेतु कि क्षेत्र का कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 47,800 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग पाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।

7. इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत् 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 04/08/2023 को संपन्न 152वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि–**

1. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्व उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर, जियोटेग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. मैसर्स कोड़ेकेड़ा लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री चंद्रभान कश्यप), ग्राम–कोड़ेकेड़ा, तहसील–लोहण्डीगुड़ा, जिला–बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2407)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 429436/ 2023, दिनांक 08/05/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (मीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कोड़ेकेड़ा, तहसील–लोहण्डीगुड़ा, जिला–बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 287 एवं 288, कुल क्षेत्रफल–1.54 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–40,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 469वीं बैठक दिनांक 13/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री चंद्रभान कश्यप, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कोड़ेकेड़ा का दिनांक 30/11/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान विथ स्कीम ऑफ माईनिंग फॉर फर्स्ट फाईव ईयर एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 370/खनिज/खाद.सी./2022–23 दंतेवाड़ा, दिनांक 16/08/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 1686/खनिज/खा.लि.4/23/2020–21/उ.प./2022 जगदलपुर, दिनांक 21/09/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानें, क्षेत्रफल 5.235 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 1686/खनिज/खा.लि.4/23/2020–21/उ.प./2022 जगदलपुर, दिनांक 21/09/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एन.ओ.आई. का विवरण** – एन.ओ.आई. की वर्तमान कब्जा के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 849/खनिज/ख.नि.4/29/2020–21/उ.प./2022 जगदलपुर, दिनांक 10/08/2022 द्वारा जारी की गई, जो जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् एन.ओ.आई. की क्षेत्रफल वृद्धि बाबत् संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्र. 3884/खनि 02/उ.प. –अनु. शिक्षा/न.क्र. 50/2017(1) नया रायपुर, दिनांक 12/09/2023 के अनुसार **"छत्तीसगढ़ मीन खनिज नियम, 2015 में जारी संशोधित अधिसूचना दिनांक 26/06/2020 (प्रकाशन दिनांक 30/06/2020) के नियम 42 के उप–नियम (5) परन्तु के तहत् संचालक को प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए, प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं उत्खनित्ता स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान किया जाता है।"** होना बताया गया है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 287 श्री रेणु कश्यप, श्री बुद्धराम कश्यप, श्री नरपत कश्यप एवं श्रीमती सुकती कश्यप तथा भूमि खसरा क्रमांक 289 श्रीमती पार्वती कश्यप के नाम पर है। उत्खनन हेतु भू–स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु उप–संचालक (खनि प्रभा.), जिला–बस्तर के माध्यम से आवेदन कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जगदलपुर वनमण्डल, जिला–बस्तर को दिनांक 21/09/2022 को प्रेषित किया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह भी बताया गया कि लीज क्षेत्र के भीतर कुछ वृक्ष अवस्थित है। समिति का मत है कि उक्त वृक्षों की प्रजाति एवं संख्या संबंधी जानकारी वन विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कोडेनेड़ा 1 कि.मी. एवं अमातालाल पन्दरपुर 1.30 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 16 कि. मी. एवं राज्यमार्ग 38 कि.मी. दूर है। पारकम्बी नदी 800 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 5,77,500 टन एवं माईनेबल रिजर्व 4,09,896 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,280.91 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट लेयी मेकिनाईजड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 16.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 6,862 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 18 वर्ष है। ड्रैक हैमर से ड्रिलिंग

एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	10,000
द्वितीय	15,000
तृतीय	20,000
चतुर्थ	30,000
पंचम	40,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की चौड़ी में 881 पौधे वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली द्वारा सतीश चन्द्रमोय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where even it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जगदलपुर, जिला-बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 1686/खनिज/खनि.4/23/2020-21/ऊ.प./2022 जगदलपुर, दिनांक 21/09/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानें, क्षेत्रफल 5.235 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-कोड़ेकेड़ा) का रकबा 1.54 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-कोड़ेकेड़ा) को मिलाकर कुल रकबा 6.775 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) और ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोसेसड/एक्टीविटीज रिलायबलि इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन अन्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 'ए' का

पर्यावरण रीजेक्शन (लोक सुनवाई सहित) नीति बोल माईनिंग प्रोसेसिंग हेतु निम्न अतिरिक्त रीजेक्शन के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई –

i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit the NOC from forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary & also mention the number of trees (with tree species) present in lease area.

iv. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

v. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

viii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama, photographs and videography of every monitoring station.

x. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

xi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiii. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xiv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 04/08/2023 को सम्पन्न 152वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार निर्णय उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा अनुशंसित अतिरिक्त टी.ओ.आर. के शर्त क्रमांक "iii. Project proponent shall submit the NOC from forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary & also mention the number of trees (with tree species) present in lease area." के स्थान पर "**iii. Project proponent shall submit the NOC from forest departnent at the time of submission of draft EIA, mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary & also mentioning the number of trees (alongwith tree species) present within the lease area.**" पढ़ा जावें।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

12. मेसर्स पूरा लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्रीमती राजश्री वर्मा), ग्राम–पूरा, तहसील–खरोरा, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2428)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/428509/ 2023, दिनांक 08/05/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–पूरा, तहसील–खरोरा, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 567/1, 568/1, 568/2, 568/3, 569/1, 569/3, 569/4, 570 एवं 573, कुल क्षेत्रफल–0.73 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–17,880 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 469वीं बैठक दिनांक 13/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री पुनम किशोर वर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 567/1, 568/1, 569/1, 568/2, 568/3, 569/3, 569/4, 570 एवं 573, कुल क्षेत्रफल–0.73 हेक्टेयर, क्षमता–17,880 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मेलन निर्धारण प्राधिकरण, जिला–रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 24/08/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 21/01/2021 तक वैध थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

"3A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 21/01/2022 तक वैध थी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1148/खनि./न.क./2023 रायपुर, दिनांक 08/08/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्खनन (टन)
2017-18	8,800
2018-19	10,500
2019-20	9,300
2020-21	9,300
2021-22	निरंक
2022-23	निरंक

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत धुरा का दिनांक 28/09/2010 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – खदानों मॉडिफाई किए कहाँ क्लोजर मॉडिफाई एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (खनि) संचालनालय, भौतिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 1036/खनि02/मा.प्र.अनुमोदन/न.क.04/2018(3) नया रायपुर, दिनांक 15/03/2023 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 851/खनि./न.क./2023/ रायपुर, दिनांक 10/05/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें, क्षेत्रफल 74.042 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 851/खनि./न.क.

/2023 रायपुर, दिनांक 10/08/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। शासकीय नहर 200 मीटर के परिधि के भीतर स्थित है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज श्रीमती राजश्री वर्मा के नाम पर है। लीज डीड 50 वर्ष अर्थात् दिनांक 22/01/2011 से 21/01/2021 तक की अवधि हेतु किया थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 22/01/2021 से 21/01/2041 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु उप-संचालक (खनि प्रभा.), जिला-रायपुर द्वारा कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, रायपुर को आवेदन दिनांक 09/08/2023 को प्रेषित किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-मुरा 3 कि.मी., स्कूल ग्राम-मुरा 3 कि.मी. एवं अस्पताल मुरा 1.79 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.27 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 4.8 कि.मी. दूर है। जलाशय 2 कि.मी. एवं नहर 84 मीटर की दूरी पर स्थित है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,84,300 टन एवं माईनेबल रिजर्व 83,247 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीम पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,481 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल भाग 3,180 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	16,727.5
द्वितीय	16,912.5
तृतीय	16,717.5
चतुर्थ	16,725.0
पंचम	16,165.0

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 400 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,481 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 703 वर्गमीटर क्षेत्र 11 मीटर की गहराई तक एवं 822 वर्गमीटर क्षेत्र 7 मीटर की गहराई तक उत्खनित है जिसका उल्लेख अनुमोदित खदान प्लान में किया गया है। प्रतिवेदित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध खनिज विभाग द्वारा अवैध उत्खनन किये जाने हेतु अर्थदण्ड राशि रुपये 1,21,000 लगाया गया था, जिसको परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 27/01/2023 द्वारा अर्थदण्ड राशि रुपये 1,21,000 खनिज विभाग में जमा की गई है।

15. समिति द्वारा के.एम.एल. माईंस के माध्यम से गूगल अर्थ से देखने पर पाया गया कि लीज क्षेत्र के भीतर क्वारर का कुछ भाग (क्षेत्र) स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 350 वर्गमीटर है। उक्त क्वारर का कुछ भाग 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में अवस्थित है। समिति का मत है कि क्वारर को 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी से हटाते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक viii.ii के अनुसार–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा रिट्स पान्देय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है–

a) **Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.**

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज साधन), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 801/ख.नि./न.क./2023/ रायपुर, दिनांक 10/08/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें, क्षेत्रफल 74.042 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–पूठा) का रकबा 0.73 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–पूठा) को मिलाकर कुल रकबा 74.772 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उल्लंघन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये संयुक्त उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौतिकी तथा खनिकर्म, इंदिरावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौतिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना 2015 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स और रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लियरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टेण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

iii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iv. Project proponent shall submit the revised approved mining plan by removing the crusher from the 7.5 meter wide boundary strip.

v. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

vi. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

ix. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

x. Project proponent shall submit the details of pollution control arrangement in crusher.

xi. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xv. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery as much as possible & complete plantation alongwith photographs and incorporate in the EIA report.

xvi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and incorporate the details in the EIA report.

xvii. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xviii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 04/08/2023 को संपन्न 152वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार किया कि उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा अनुशंसित अतिरिक्त टी.ओ.आर. के शर्त में निम्न संशोधन किया गया:–

5(ii) "Project proponent shall submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary." के स्थान पर 5(ii) "**Project proponent shall submit the NOC from forest department at the time of submission of draft EIA, mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary & also mentioning the number of trees (alongwith tree species) present within the lease area.**" पढ़ा जावे।

5(iv) "Project proponent shall submit the revised approved mining plan by removing the crusher from the 7.5 meter wide boundary strip." के स्थान पर 5(iv) "**Project proponent shall submit the revised approved mining plan by removing the crusher from the 7.5 meter wide boundary strip, at the time of submission of draft EIA.**" पढ़ा जावे।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:–

(1) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

(ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(iii) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन से पर्यावरण को क्षति होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

(2) पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर तथा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

13. मेसर्स नरदहा माईन स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री एम. एस. अरोरा), ग्राम–नरदहा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (लघिवालय का नवमी क्रमांक 2080)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसएईए/ सीजी/ एमआईएन/ 78288/ 2022, दिनांक 13/08/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियां होने से शासन दिनांक 23/08/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 17/10/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (मीन माईनर) खदान है। खदान ग्राम–नरदहा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक–1987, कुल क्षेत्रफल–1.214 हेक्टेयर में है। खदान की अनुमोदित उत्पादन क्षमता–16,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के शासन दिनांक 08/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 440वीं बैठक दिनांक 08/12/2022 :

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 08/12/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के शासन दिनांक 03/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 451वीं बैठक दिनांक 10/02/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 10/02/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के शासन दिनांक 06/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 470वीं बैठक दिनांक 14/06/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 14/06/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है।

अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुशंसा किया गया है। समिति द्वारा विचार कर निम्न स्थिति पाई गई–

3. परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में प्रस्तुतीकरण हेतु 3 अवसर प्रदान किये गये है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बार-बार अपरिहार्य कारणों/वांछित जानकारी अपूर्ण होने का लेख करते हुये समय दिये जाने का अनुरोध किया जा रहा है, जिससे समिति का अनावश्यक समय नष्ट हो रहा है।

4. समिति की बैठक दिनांक 06/12/2022 में लिए गये निर्णय अनुसार वांछित जानकारी आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई है।

पूर्व में समिति की अनुशंसा के आधार पर प्राधिकरण की 148वीं बैठक दिनांक 22/09/2023 में लिये गये निर्णय अनुसार "जो परियोजना प्रस्तावक दो बार प्रस्तुतीकरण हेतु अनुपस्थित रहेंगे उनको तीसरी बार की बैठक में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक के ऑनलाईन आवेदन को पोर्टल से डि-लिस्ट/निरस्त करने का निर्णय एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ द्वारा लिया जावेगा" है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आवेदित प्रकरण को डि-लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 04/08/2023 को संपन्न 152वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्तावों को वर्तमान में प्राप्त प्रकरण में यथावत् डि-लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

14. मेसर्स बटुरबहार आर्डिनरी स्टोन क्वॉरी (प्रो.– श्री रंजीत सिन्हा), ग्राम-बटुरबहार, तहसील-पत्थलगांव, जिला-जशपुर (खनिकर्म का नस्ती क्रमांक 2268)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 414646/2023, दिनांक 15/01/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (मीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बटुरबहार, तहसील-पत्थलगांव, जिला-जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 1030/6, 1044, 999/2, 1030/5 एवं 1033, कुल क्षेत्रफल-3.042 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-25,070.5 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 402वीं बैठक दिनांक 28/02/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 28/02/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा सामान्य सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई अंकित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(4) समिति की 47वीं बैठक दिनांक 14/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 14/06/2023 के माध्यम से सूचना दी गयी है कि आवेदन में तकनीकी त्रुटि होने के कारण आवेदन को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आलोचित प्रकरण को क्लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (तथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 04/08/2023 को संपन्न 152वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को क्लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव को अर्थमान में प्राप्त प्राप्त में फलतः क्लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (तथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

15. मेसर्स अलंकार स्टील प्राईवेट लिमिटेड, यूनिट-1 (डायरेक्टर- श्री राज कुमार अग्रवाल), जी.ई. रोड, टाटीबंध, जिला-रायपुर (संचालनालय का नस्ती क्रमांक 2272)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 414767/ 2023, दिनांक 17/01/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् खसरा नं. 55/3(पार्ट), जी.ई. रोड, टाटीबंध, जिला-रायपुर, कुल क्षेत्रफल-0.647 हेक्टेयर में टि -रोल स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता-30,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के लिए टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रुपये 45 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 453वीं बैठक दिनांक 01/03/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 01/03/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः अगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 470वीं बैठक दिनांक 14/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 14/06/2023 के माध्यम से सूचना दी गयी है कि आवेदन में त्रुटि होने के कारण आवेदन को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (तथा संशोधित) के तहत पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 04/08/2023 को संपन्न 162वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति** से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रारूप में यथावत् डि–लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (तथा संशोधित) एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

16. मेसर्स अलंकार स्टील प्राईवेट लिमिटेड (यूनिट–2), जी.ई. रोड, टाटीबंध, जिला–रायपुर (कार्यालय का नस्ती क्रमांक 2275)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएन्डी1/ 414686/2023, दिनांक 17/01/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत खसरा नं. 55/3(भाग), जी.ई. रोड, टाटीबंध, जिला–रायपुर, कुल क्षेत्रफल–0.847 हेक्टेयर में सि–सीलिंग स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता–30,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के लिए टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रुपये 3 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 453वीं बैठक दिनांक 01/03/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 01/03/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में मांगी गई वांछित जानकारी एवं सकल सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 470वीं बैठक दिनांक 14/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 14/06/2023 के माध्यम से सूचना दी गयी है कि आवेदन में तकनीकी त्रुटि होने के कारण आवेदन को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को कि-लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 04/08/2023 को संपन्न 152वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति** से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को कि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रारूप में यथावत् कि-लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

17. मेसर्स लांजी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री बांके बिहारी अग्रवाल), ग्राम–लांजी, तहसील व जिला–सूरजपुर (प्रकरण का नस्ती क्रमांक 2074)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 377610/2022, दिनांक 10/08/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (मीनर खनिज) खदान है। ग्राम–लांगी, तहसील व जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 1236 एवं 1237, कुल क्षेत्रफल–0.36 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2,581 टन (862.6 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु की अंकित टेम्बेकर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा सभी प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**–
   i. पूर्व में पत्थर खदान खसरा क्रमांक 1236 एवं 1237, कुल क्षेत्रफल–0.36 हेक्टेयर, क्षमता–862.6 घनमीटर (2,581 टन) प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण सम्बन्धित निर्धारण प्राधिकरण, जिला–सूरजपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 3 वर्ष तक की अवधि हेतु वैध थी।
   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
   iii. निर्धारित शर्तानुसार 100 मी. बफरजोन छोड़ा गया है।
   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 311/खनिज/2022 सूरजपुर, दिनांक 18/02/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)	उत्पादन (टन)
2017	450	1,170
2018	455	1,183
2019	736	1,914
2020	278	723
दिनांक 01/01/2021 से 30/09/2021 तक	निरंक	निरंक
नोट: जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 12/02/2020 की समाप्ति के पश्चात् उत्खनन कार्य बंद है।		

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत लांगी का दिनांक 21/07/2009 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एवं सिंग क्वारी क्लोजर सिंग इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–सूरजपुर

के ज्ञापन क्रमांक 71/खनिज/2016 सूरजपुर, दिनांक 09/01/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 8388/खनिज/2021 सूरजपुर, दिनांक 10/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 8388/खनिज/2021 सूरजपुर, दिनांक 10/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मजार, अस्पताल एवं रेल लाईन आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज की बाबत विहारी अग्रवाल के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 14/09/2000 से 13/09/2010 तक की अवधि हेतु किया थी। लीज डीड का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 14/09/2010 से 13/09/2020 तक की अवधि हेतु किया थी। तत्पश्चात लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 14/09/2020 से 13/09/2030 तक की अवधि हेतु निष्पादित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल, जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/म.वि./581 सूरजपुर, दिनांक 05/02/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–केलटुकरी 810 मीटर, मधुरा ग्राम–लोवी 850 मीटर एवं अस्पताल सूरजपुर 4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 22.15 कि.मी. दूर है। रेहर नदी 1.7 कि.मी., नहर 1.12 कि.मी. एवं मौसमी नाला 1.35 कि.मी. दूर है। केलटुकरी रिजर्व फॉरेस्ट 1.2 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित कार्य योजना अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 71,825 टन, माईनेबल रिजर्व 27,063 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 24,357 टन है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 66,280 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 19,387 टन शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीम पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,362 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। भू–तल से उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है एवं पहाड़ी क्षेत्र की औसत ऊँचाई 2.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,033.13 घनमीटर है, जिसमें से 828 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीम पट्टी

(7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग तथा शेष ऊपरी मिट्टी 1,205.13 घनमीटर को लीज क्षेत्र से बाहर सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 1664, क्षेत्रफल 0.346 हेक्टेयर) में भण्डारित कर संरक्षित किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष से अधिक है। लीज क्षेत्र में अवैध खनिज स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जेक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में धूल प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,170	षष्टम	1,560
द्वितीय	1,183	सप्तम	1,599
तृतीय	2,232.88	अष्टम	2,125.5
चतुर्थ	2,301	नवम	2,535
पंचम	2,422.4	दशम	2,561

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 1.82 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर एवं बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में घास और 7.5 मीटर की पट्टी में 210 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 100 नग वृक्षारोपण किया गया है, शेष 110 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
खदान के बाउण्ड्री में (110 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण हेतु राशि	1,100	–	–	–	–
	फेंसिंग हेतु राशि	40,000	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250
	सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
कुल राशि = 4,42,350		1,21,350	80,250	80,250	80,250	80,250

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के घास और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **पैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में 588.7 वर्गमीटर क्षेत्र की चौड़ाई संकीर्ण होने के कारण एवं 1.5 मीटर की गहराई के पश्चात् 164.8 वर्गमीटर क्षेत्र की चौड़ाई कम होने के कारण कुल 323.5 वर्गमीटर क्षेत्र को पैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। इसका उल्लेख अनुमोदित खनी प्लान में किया गया है।

16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
6.22	2%	0.12	Following activities at Government Primary School at, Village-Lanchi	
			Running Water Arrangement in Toilet	
			Water Tank (Plasto, 1,000L)	0.080
			Pipeline & Installation and accessories	0.075
			Total	0.155

17. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

18. उपरोक्त मिट्टी की सहमति प्राप्त कमीनक्स भूमि (खसरा क्रमांक 1664, क्षेत्रफल 0.345 हेक्टेयर) में चम्पाखाणि कर संरक्षित रखने, दुरुपयोग, विक्रय नहीं करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने तथा उपरोक्त मिट्टी का उपयोग पुनर्भराव कार्य में किये जाने साथ ही निरीक्षणकर्ता /अधिकारी को उनके भ्रमण के दौरान चम्पाखाणि मिट्टी का निरीक्षण कराये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

19. खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत, नाला, नदी, तालाब इत्यादि में प्रवाहित नहीं किये जाने एवं प्राकृतिक जल स्रोत, नाला, नदी, तालाब इत्यादि का संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

20. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से पर्याप्तिरिक्त अपशिष्ट उत्पादन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल कंसेशन नियम (Minerals Consession Rule) के तहत् सामग्री मिलने द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/उद्यम से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/09/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज में निकटतम आबादी ग्राम–केलटुकरी 810 मीटर बताया गया है, जबकि प्रस्तुतीकरण के दौरान गूगल अर्थ से मापन किये जाने पर निकटतम आबादी ग्राम–केलटुकरी की दूरी 117 मीटर पाया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से निकटतम आबादी ग्राम–केलटुकरी की वास्तविक दूरी की प्रमाणिक जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से निकटतम आबादी ग्राम–केलटुकरी की वास्तविक दूरी की प्रमाणिक जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जायेगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/11/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 03/05/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 473वीं बैठक दिनांक 14/06/2023:

समिति द्वारा नवमी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर में आवेदन दिनांक 17/01/2023 किया गया है, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। साथ ही एस.ई.ए.सी. के ज्ञापन दिनांक 28/11/2022 के माध्यम से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर को पत्र लेख किया गया है, जो कि अप्राप्त है।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह भी बताया गया कि उनके द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर में दिनांक 01/02/2023 एवं मुख्यालय

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर में दिनांक 02/05/2023 को आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रस्तुत किये जाने के शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के अनुक्रम में समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 4493/खनिज/2023 सूरजपुर, दिनांक 31/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार पत्थर खदान से निकटतम आबादी ग्राम–केलटीकनी की वास्तविक दूरी 800 मीटर से अधिक है।

3. सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु कि–स्तरीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित कि–स्तरीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

4. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सतीश चन्द्रमेन विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 8389/खनिज/2021 सूरजपुर, दिनांक 10/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–लांगी) का रकबा 0.36 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान की–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में अभिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स लांगी स्टोन क्वारी, (प्रो– श्री बांके बिहारी अग्रवाल) की ग्राम–लांगी, तहसील व जिला–सूरजपुर के खसरा क्रमांक 1235 एवं 1237 में स्थित साधारण पत्थर (रोड़ी

खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–0.36 हेक्टेयर, क्षमता–2,581 टन (2822.6 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 04/08/2023 को संपन्न 182वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये मेसर्स लाखी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री बांके बिहारी अग्रवाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत कार्यवाही की जाएगी।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को शर्तों पर पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।
3. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित स्थल के प्रायार्थ से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर, विडियोग्राफ फोटोग्राफ सहित जानकारी आंकेक्षक रिपोर्ट में सम्मिलित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को शर्तों पर पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

18. मेसर्स अमगांव आर्डिनरी स्टोन माईन (प्रो.– श्रीमती रेणु अग्रवाल), ग्राम–अमगांव, तहसील–लखनपुर, जिला–सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2302)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 417286/2023, दिनांक 07/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रकरण का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (मीनर खनिज) खदान है। खदान ग्राम–अमगांव, तहसील–लखनपुर, जिला–सरगुजा स्थित खसरा क्रमांक–137/29 एवं 1055/2, कुल क्षेत्रफल–1.792 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की अनुमोदित उत्खनन क्षमता–16,737 टन (6,186.75 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।
तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 24/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 45वीं बैठक दिनांक 29/03/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नीरज कुमार अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अमगाही का दिनांक 02/10/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एवं क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–सरगुजा के पृ. प्रपत्र क्रमांक 1819/ए खनि./म्या./2022 सरगुजा, दिनांक 27/12/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के प्रपत्र क्रमांक 30/खनिज/खनि.1/2023 अंबिकापुर, दिनांक 11/01/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के प्रपत्र क्रमांक 31/खनिज/खनि.1/2023 अंबिकापुर, दिनांक 11/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट कोप एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्रीमती रेनु जायसवाल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर सरगुजा (खनिज शाखा) जिला–अंबिकापुर के प्रपत्र क्रमांक 815/खनिज/खनि.1/न.क.35/2021 अंबिकापुर, दिनांक 05/07/2022 द्वारा जारी की गई, जो एक वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 137/29 श्री कुंदू, श्री राम फल, श्री नरेंद्र एवं सुश्री टीना तथा खसरा क्रमांक 1066/2 श्री गोहर दास महंत के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय उपवनमंडलाधिकारी, सरगुजा उपवनमंडल, अंबिकापुर के प्रपत्र क्रमांक/उ0अधि./888 अंबिकापुर, दिनांक 16/06/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 7.5 कि.मी. की दूरी पर है।
10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–अमगाही 475 मीटर, स्कूल ग्राम–अमगाही 800 मीटर एवं अस्पताल लखनपुर 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 880 मीटर एवं राज्यमार्ग 28.6 कि.मी. दूर है। तालाब 700 मीटर, नहर 875 मीटर, मौसमी नाला 1.2 कि.मी. एवं रेहर नदी 2.75 कि.मी. दूर है।
11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,86,112 टन, माईनेबल रिजर्व 1,84,835 टन एवं सिलेक्टेबल रिजर्व 1,58,593 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,620 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया

जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,075 घनमीटर है, जिसमें से 1,071 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (साईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जायेगा तथा शेष ऊपरी मिट्टी एवं ओवर बर्डन को लीज क्षेत्र के बाहर सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 1113, रकबा 0.308 हेक्टेयर) में भण्डारित कर संरक्षित रखा जाएगा। लीज क्षेत्र में ओवर बर्डन की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,075 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष है। जेक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। लीज क्षेत्र में प्रवाह प्रस्तावित नहीं है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	16,352
द्वितीय	16,873
तृतीय	16,737
चतुर्थ	16,288
पंचम	16,480

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,176 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 11,760 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,00,000 रूपये, खाद के लिए राशि 56,800 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 80,000 रूपये, रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,00,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 3,18,560 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 8,23,200 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु पर्यावरण मद का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
19.93	2%	0.3986	Following activities at Village- Amgasi	
			Plantation at Village Pond	0.48
			Total	0.48

17. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर (आम एवं जामुन) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 20 नग पौधों के लिए राशि 500 रुपये, कीटिन के लिए राशि 2,500 रुपये, खाद के लिए राशि 1,000 रुपये तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 8,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 12,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 36,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत अमगासी के अंतर्गत तालाब पर वृक्षारोपण (खसरा क्रमांक 696, क्षेत्रफल 0.581 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् ग्राम पंचायत अमगासी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. अपनी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. उत्तराखण्ड आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् कारगुजरी मिनरल्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा उपरोक्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् ग्राम पंचायत अमगासी का सहमति पत्र प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ की 487वीं बैठक दिनांक 29/03/2023 के परिशिष्ट में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 09/05/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 470वीं बैठक दिनांक 14/06/2023

समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. सी.ई.आर. के अंतर्गत लाखा पर कुल्लीकरण किये जाने वाला ग्राम पंचायत अमगाही का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कुल्लीकरण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपाइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कुल्लीकरण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
3. माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा रिट्ट याचिका सिविल भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (प्रतिवादगण एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-
   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 30/खनिज/खा.नि.1/2023 अंबिकापुर, दिनांक 11/01/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम-अमगाही) का रकबा 1.792 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स अमगाही आर्डिनरी स्टोन माईन (प्रो.- श्रीमती रेणु जायसवाल) को ग्राम-अमगाही, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा की खसरा क्रमांक 137/29 एवं 1055/2 में स्थित साधारण पत्थर (गैर खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.792 हेक्टेयर, क्षमता-16,737 टन (8,168.75 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 04/08/2023 को संपन्न 152वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये मेसर्स अमगाही आर्डिनरी स्टोन माईन (प्रो.- श्रीमती रेणु जायसवाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने का

निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

2. एल.ओ.आई. की स्थल वृद्धि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।
3. सी.ई.ए. के तहत् प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर, जियोटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी आंतरिक रिपोर्ट में समाहित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।
4. उत्खनन हेतु आवंटित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, मांग के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी परियोजना प्रस्तावक की होगी, इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

18. मेसर्स सुजाता मिनरल्स (प्रो.– श्रीमती सुजाता डाकलिया, रामपुर लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–रामपुर, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का पत्रांक क्रमांक 2071)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 274703/2022, दिनांक 07/08/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 16/08/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा संशोधित जानकारी दिनांक 29/08/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (लीम स्टोन) खदान है। खदान ग्राम–रामपुर, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 78/8, 78/10, 78/11, 78(पार्ट), 439/2(पार्ट) एवं 439/9, कुल क्षेत्रफल–1.207 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–10,000 टन (4,000 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 431वीं बैठक दिनांक 28/10/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रमेश डाकलिया, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत रामपुर का दिनांक 10/08/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – खाड़ी प्लान (ट्रेलिंग लिप इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एवं खाड़ी क्लोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (खा.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 2741/खनि 02/मा.प्र.अनुमोदन/न.क.06/2019(1) नया रायपुर, दिनांक 30/06/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 369/खनि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 22/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानें, कुल क्षेत्रफल 3.72 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 369/खनि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 22/02/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. मेसर्स सुजाता मिनरल्स प्रो.– श्रीमती सुजाता डाकलिया के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर, (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 186/खनि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 01/02/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 78/9, 78/10, 78(पार्ट), 439/2(पार्ट) एवं 439/9 की पानू राम एवं खसरा क्रमांक 78/11 की दुखु राम के नाम पर है। उत्खनन हेतु भू–स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.नि./न.क. 10–1/2022/1806 राजनांदगांव, दिनांक 25/02/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 13.204 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–रामपुर 450 मीटर एवं स्कूल ग्राम–रामपुर 1 कि.मी., अस्पताल अर्जुनी 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 450 मीटर दूर है। रेलवेस्टेशन नांदी 2.5 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,81,250 टन, माइनेबल रिजर्व 44,585 टन एवं निकालेबल 42,450 टन है। लीज की 7.5 मीटर

चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 6.368 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जायेगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 7 मीटर है। लीज क्षेत्र में जमी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 6 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। लीज होल्डर के ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जायेगा। खदान में धूल प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जायेगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	8,000
द्वितीय	8,000
तृतीय	10,000
चतुर्थ	9,000
पंचम	9,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टेंकरों के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जायेगा। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **नॉन माईनिंग क्षेत्र** – खदान के कुछ क्षेत्र संकीर्ण (Narrow area) होने के कारण 2.181 वर्गमीटर क्षेत्र को नॉन माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि उक्त नॉन माईनिंग क्षेत्र पर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से पर्याप्त उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.80	Following activities at Village- Rampur	
			Pavitra Van Nirman	2.76
			Total	2.76

18. सी.ई.आर. के अंतर्गत 'पवित्र वन निर्माण' के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 800 नग पौधों के लिए राशि 36,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 20,000 रूपये, खाद, सिंचाई के लिए राशि 1,00,000 रूपये, तथा रख-रखाव के लिए राशि 1,20,000 रूपये, इस प्रकार आगामी 5 वर्ष में कुल राशि 2,76,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् पवित्र वन हेतु ग्राम पंचायत रामपुर के सहमति उपरांत प्रस्तावित स्थान (खसरा क्रमांक 155, क्षेत्रफल 0.404 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा उपलब्ध कार्यवाही से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:-

1. अपनी मिट्टी के रख-रखाव हेतु अपनी मिट्टी की मांग एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए। साथ ही अपनी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भराव हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही गैर माईनिंग क्षेत्र पर वृक्षारोपण हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. कंटूर प्लांटिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बालूमुंडी पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध भारत शासन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की

अधिसूचना क्र.अ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण अंकित नहीं है।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/12/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 03/02/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(4) समिति की 450वीं बैठक दिनांक 09/02/2023-

समिति द्वारा नवमी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. उपरी मिट्टी के रख-रखाव हेतु उपरी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
2. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 57,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 20,000 रूपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 35,000 रूपये, रख-रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 1,36,500 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 1,93,750 रूपये आगामी पांच वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
3. गैर माईनिंग क्षेत्र पर वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही गैर माईनिंग क्षेत्र पर वृक्षारोपण हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
5. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल कंसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् कारगुजी मिलर्स द्वारा संचालन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा उपलब्ध कार्यवाही से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:-

1. उपरी मिट्टी के रख-रखाव हेतु उपरी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
2. नॉन माईनिंग क्षेत्र पर वृक्षारोपण हेतु पौधों का संख्या, कॉस्टिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही नॉन माईनिंग क्षेत्र पर वृक्षारोपण हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
3. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/03/2023 के परिक्रम में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 26/06/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ग) समिति की 472वीं बैठक दिनांक 14/08/2023

समिति द्वारा पत्रावली प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. लीज क्षेत्र में उपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर एवं मात्रा 3,000 घनमीटर है। इस उपरी मिट्टी को 7.5 मीटर क्षेत्र (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र 6,369 वर्गमीटर) में कैनोपी वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा।
2. नॉन माईनिंग क्षेत्र पर वृक्षारोपण हेतु 200 नग पौधों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 10,000 रूपये, कॉस्टिंग के लिए राशि 20,000 रूपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 15,000 रूपये, रख-रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 69,000 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 1,62,000 रूपये आगामी 5 वर्ष हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा खदान के भीतर नॉन माईनिंग क्षेत्र पर वृक्षारोपण किया जाएगा तथा न्यूनतम पांच वर्षों तक रख-रखाव किया जाएगा।
3. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

4. सी.ई.ओ.ए. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में ब्लास्टिंग कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.ओ.ए. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में ब्लास्टिंग का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

5. माननीय एन.जी.टी. डिविजन बेंच, नई दिल्ली द्वारा सर्वश्री पारुलेश सिकद्व भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 359/ख.नि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 22/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानें, कुल क्षेत्रफल 3.72 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-रामपुर) का रकबा 1.207 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-रामपुर) को मिलाकर कुल रकबा 4.927 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में संचालित/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स सुजाता मिनरल्स (प्रो- श्रीमती सुजाता डाकलिया, रामपुर लाईम स्टोन क्वारी) को ग्राम-रामपुर, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव के खसरा क्रमांक 78/9, 78/10, 78/11, 78(पार्ट), 439/2(पार्ट) एवं 439/9 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.207 हेक्टेयर, क्षमता-10,000 टन (4,000 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 04/08/2023 को संपन्न 152वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये मेसर्स सुजाता मिनरल्स (प्रो- श्रीमती सुजाता डाकलिया, रामपुर लाईम स्टोन क्वारी) को पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।
2. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

3. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत सहमति ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर, डिजीटेल फोटोग्राफ सहित जानकारी आॅनलाईन रिपोर्ट में समाहित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को संसूचित पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।
4. उत्खनन हेतु आवंटित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत के समस्त नियमों के अंतर्गत खनन की जिम्मेदारी परियोजना प्रस्तावक की होगी, इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को संसूचित पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

20. मेसर्स डी. डी. गावर (ले.डी.) (मांजा आर्डिनरी स्टोन टेम्परारी पर्मिट क्वारी), ग्राम–मांजा, तहसील–लखनपुर, जिला–सरगुजा (सलियासन्द का नवीन प्रकरण 2136)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 290516/2022, दिनांक 26/08/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (मॉस स्टोन) खदान है। खदान ग्राम–मांजा, तहसील–लखनपुर, जिला–सरगुजा स्थित खसरा क्रमांक 74/83 एवं 74/42, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवंटित उत्खनन क्षमता–1,85,302.28 टन प्रतिवर्ष है।
तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –
(अ) समिति की 436वीं बैठक दिनांक 29/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आकाश वर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं चर्चोपरांत करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. एन.एच.ए.आई. द्वारा मेसर्स डी. डी. गावर (ले.डी.) को जारी वर्क ऑर्डर की प्रति प्रस्तुत की गई है।
2. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर के संबंध में ग्राम पंचायत मांजा का दिनांक 24/01/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. **उत्खनन योजना** – डी.पी. क्वारी प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर मेनेजमेंट प्लान एवं क्वारी डेवलपमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (भू.वि.), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1348/खनि.–2/2022 रायगढ़, दिनांक 06/06/2022 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – उपखंड कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 836/खनिज/खनि.2/2022 अंबिकापुर, दिनांक 18/07/2022 के अनुसार आवंटित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 838/खनिज/ख.नि.3/2022 अम्बिकापुर, दिनांक 18/07/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार प्रस्तावित खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. मेसर्स डी. डी. गावर (ले.वी.) के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 411/खनिज/खनि.3/ख.अ./2022 अम्बिकापुर, दिनांक 21/03/2022 द्वारा जारी की गई है। एल.ओ.आई. में 8 मीटर की गहराई तक पत्थर उत्खनन किया जाने का उल्लेख है। जिसके संदर्भ में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 8 (ख) तथा प्रावधान 9 की कंडिका अ.क्र.(ख) के तहत् खनिज उपलब्धता के संदर्भ में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार जांच प्रतिवेदन में खनिज लगभग 100 फीट की गहराई तक होना बताया गया है।
8. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 74/83 की सीलन एवं खसरा क्रमांक 74/49 श्रीमती मुन्नीबाई के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सरगुजा वनमंडल, अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक/वन.अधि./1383 अम्बिकापुर, दिनांक 01/07/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र से 2 कि.मी. की दूरी पर है।
11. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मोहनपुर 750 मीटर, स्कूल ग्राम–मोहनपुर 2 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–लखनपुर 7.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 29.65 कि.मी. दूर है। रेहर नदी 1.65 कि.मी., मोरनी नाला 1.2 कि.मी., तालाब 960 मीटर एवं नहर 880 मीटर दूर स्थित है।
12. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
13. **खनन योजना एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,82,200 टन, माईनेबल रिजर्व 1,74,041 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,65,339 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,480 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 16 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.3 मीटर है तथा कुल मात्रा 1,044 घनमीटर है, जिसमें से 1,220 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (साईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में वैनाकार ढलानीकरण के लिए उपयोग किया जायेगा। क्षेत्र की लंबाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 1 वर्ष है। लीज क्षेत्र में अवार खोदित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग व अट्टीस ब्लास्टिंग किया

जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,65,302.28

14. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5.62 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की चौड़ी में 348 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार वृक्षारोपण के लिए राशि 4,350 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 80,000 रूपये, खाद के लिए राशि 17,400 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव के लिए राशि 1,35,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में राशि 2,16,750 रूपये तथा कुल राशि 6,13,000 रूपये आगामी 4 वर्षों हेतु पौधरोपण व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि "वृक्षारोपण के प्रयोजन की राशि को आवंटित खदान के 7.5 मीटर की हरित पट्टी में प्रयोजन अनुसार वृक्षारोपण किया जाकर राशि खर्च की जावेगी। खर्च किये गए राशि की जानकारी पर्यावरण स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में दिया जायेगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आपके द्वारा दी गई अनुशासनात्मक/वैधानिक कार्यवाही के लिए मैं बाध्य रहूंगा"।

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
12.83	2%	0.2566	Following activities at nearby Govt. primary school Village- Lotanpara (Manja)	
			Running water arrangement in Toilet	
			Water tank (1,000 liter)	0.20
			Pipeline, Installion & Accessories	
			Environment Conservation related Books	0.10

			Steel Almira	
			Plantation around school campus	0.65
			Total	0.95

18. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 नग पौधे के लिए राशि 500 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 10,000 रुपये, खाद के लिए राशि 1,250 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव के लिए राशि 32,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 43,750 रुपये एवं द्वितीय वर्ष में 21,250 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि "सी.ई.आर. के प्रयोजन में दिए गये राशि को सी.ई.आर. प्रयोजन के अनुसार खर्च किया जाएगा। खर्च किये गए राशि की जानकारी पर्यावरण स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में दिया जायेगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आपके द्वारा दी गई अनुशासनात्मक/वैधानिक कार्यवाही के लिए मैं बाध्य रहूंगा"।

19. समिति का मत है कि सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में 100 वृक्षारोपण किये जाने हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं कालवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

20. पूर्व में (1) मेसर्स डी.डी.गावर (जे.वी.), ग्राम-मांजा, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (प्रयोजन नम्बर - एसआईए /सीजी /एमआईएन / 164691/2020, दिनांक 23/07/2020), (2) मेसर्स डी.डी.गावर (जे.वी.), ग्राम-मांजा, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (प्रयोजन नम्बर - एसआईए /सीजी /एमआईएन / 165106/2020, दिनांक 28/07/2020), (3) मेसर्स डी.डी.गावर (जे.वी.), ग्राम-मांजा, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (प्रयोजन नम्बर - एसआईए /सीजी /एमआईएन / 165106/2020, दिनांक 28/07/2020), (4) मेसर्स डी.डी. गावर (जे.वी.), ग्राम-मांजा, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (प्रयोजन नम्बर - एसआईए /सीजी /एमआईएन /202887/2021, दिनांक 09/03/2021) एवं (5) मेसर्स डी.डी. गावर (जे.वी.), ग्राम-मांजा, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (प्रयोजन नम्बर - एसआईए /सीजी /एमआईएन /202801/2021, दिनांक 09/03/2021) को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के सी.ई.आर. के भौतिक सत्यापन हेतु तीन सदस्यीय उपसमिति में श्री एन. के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़, श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अम्बिकापुर का गठन किया जाता है।

21. उपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किये जाने उपरांत शेष 730 घनमीटर उपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर सहमति प्राप्त भूमि (भू-स्वामी - हेमंत नंद सिंह, खसरा क्रमांक 216/1 एवं 224/4) में भण्डारित कर संरक्षित किये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय

न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. कार्यालय सहायक अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, उपखंड अम्बिकापुर जिला–सरगुजा के ज्ञापन दिनांक 25/11/2022 अनुसार "ग्राम भांजा के खसरा क्रमांक 74/83 एवं 74/49 के आस पास खुदाई के दौरान 100 फीट से अधिक गहराई में पानी उपलब्ध होता है" का उल्लेख है।

23. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि–

1. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्थल परिसर में 100 वृक्षारोपण किये जाने हेतु पौधे, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।

2. पूर्व में (1) मेसर्स डी.डी.गायत्री (जे.डी.), ग्राम–भांजा, तहसील–लखनपुर, जिला–सरगुजा (प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 164691/2020, दिनांक 22/07/2020), (2) मेसर्स डी.डी.गायत्री (जे.डी.), ग्राम–भांजा, तहसील–लखनपुर, जिला–सरगुजा (प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 165106/2020, दिनांक 28/07/2020), (3) मेसर्स डी.डी.गायत्री (जे.डी.), ग्राम–भांजा, तहसील–लखनपुर, जिला–सरगुजा (प्रपोजल

नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 165106/2020, दिनांक 28/07/2020), (4) मेसर्स डी.डी. माइनर (जे.डी.), ग्राम–गांजा, तहसील–लखनपुर, जिला–सरगुजा (प्रस्तावित नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /202587/2021, दिनांक 09/03/2021) एवं (5) मेसर्स डी.डी. माइनर (जे.डी.), ग्राम–गांजा, तहसील–लखनपुर, जिला–सरगुजा (प्रस्तावित नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /202601/2021, दिनांक 09/03/2021) को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के सी.ई.आर. के भौतिक सत्यापन हेतु तीन सदस्यीय उपसमिति में श्री एन. के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़, श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अम्बिकापुर का गठन किया जाता है। उपसमिति से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पृ. ज्ञापन दिनांक 02/03/2023 द्वारा परियोजना प्रस्तावक को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है, जिसके परिपेक्ष्य में जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/03/2023 द्वारा श्री एन. के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़, श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अम्बिकापुर को स्थल निरीक्षण किये जाने हेतु सूचित किया गया। तदानुसार उपसमिति द्वारा दिनांक 10/04/2023 को स्थल निरीक्षण कर दिनांक 23/05/2023 को निरीक्षण प्रतिवेदन प्रेषित किया गया।

(ङ) समिति की 470वीं बैठक दिनांक 14/06/2023

समिति द्वारा नवीन प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 फल पौधों के लिए राशि 1,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 15,000 रूपये, खाद के लिए राशि 5,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 9,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 30,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 40,000 रूपये हेतु पाटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
2. उपसमिति द्वारा प्रेषित निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

- "राज्य स्तरीय पर्यावरण सम्मेलन समिति पर्यावास भवन सेक्टर–19 नया रायपुर के कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2824 /एस.ई.ए.सी. /सरगुजा / दिनांक 02/03/2023 के परिपालन गठित उपसमिति द्वारा दिनांक 08/03/2021 एवं 10/07/2023 को डी.डी.माइनर (जे.डी.) को पूर्व में सरगुजा जिले के ग्राम गांजा में आवंटित 5 अस्थायी अनुज्ञा क्षेत्रों का निरीक्षण दिनांक 10/04/2023 को किया गया।
- निरीक्षण के दौरान पर्यावरण संरक्षण बोर्ड सरगुजा के क्षेत्रीय अधिकारी श्री पी.के. पटेरिया, खनि निरीक्षक श्री विवेक साहू एवं श्री डी.डी.माइनर कंपनी के स्थानीय प्रतिनिधि गण उपस्थित थे।
- मेसर्स डी.डी. माइनर (जे.डी.) को ग्राम–गांजा तहसील–लखनपुर जिला–सरगुजा की 5 अस्थायी अनुज्ञा निम्नानुसार आवंटित है:–

1. मेसर्स डी.डी. गावर (जे.डी.) को ग्राम–मांजा, तहसील–लखनपुर, जिला–सरगुजा (प्रपोजल क्रमांक एसआईए / सीजी / एमआईएन / 164691 / 2020) दिनांक 25/07/2022।
2. मेसर्स डी.डी. गावर (जे.डी.) का ग्राम–मांजा, तहसील–लखनपुर, जिला–सरगुजा (प्रपोजल क्रमांक एसआईए / सीजी / एमआईएन / 166106 / 2020) दिनांक 25/07/2022।
3. मेसर्स डी. डी. गावर (जे.डी.) को ग्राम–मांजा, तहसील–लखनपुर, जिला सरगुजा (प्रपोजल क्रमांक एसआईए / एमआईएन / 166106 / 2020) दिनांक 25/07/2022।
4. मेसर्स डी.डी. गावर (जे.डी.) को ग्राम–मांजा, तहसील–लखनपुर, जिला–सरगुजा (प्रपोजल क्रमांक एसआईए / एमआईएन / 202667 / 2021) दिनांक 09/03/2021।
5. मेसर्स डी.डी. गावर (जे.डी.) को ग्राम–मांजा, तहसील–लखनपुर, जिला–सरगुजा (प्रपोजल क्रमांक एसआईए / एमआईएन / 202601/2021) दिनांक 09/03/2021।

- उपरोक्त में वर्णित सरल क्रमांक 1 से 3 अलवाई अनुज्ञा का अनुबंध निष्पादन परिपोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 01/07/2021 को 2 वर्ष की अवधि के लिए जिसकी समाप्ति 30/06/2023 है। इन पट्टों क्षेत्रों में अभी तक उत्खनन कार्य एवं खनिज उत्पादन नहीं किया है किन्तु कुछ स्थानों पर सतही तौर पर ग्रामीणों द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए खनन किया है, जो परिलक्षित होता है। जिसकी फुटी समिति द्वारा स्थल निरीक्षण के दौरान की गई एवं खनिअधिकारी सरगुजा द्वारा भी मौखिक जानकारी उनके पत्र क्रमांक 593 दिनांक 17/05/2023 के माध्यम से दी गई है।
- उपरोक्त में वर्णित सरल क्रमांक 4 से 5 खदानों (02 खदान) को स्वीकृति 09/03/2021 को 2 वर्षों के लिए की गई थी, इसमें किसी भी प्रकार का अनुबंध नहीं किया गया है।
- समिति को परिपोजना प्रस्तावक द्वारा अनुबंध के पश्चात् 3 क्षेत्रों में खनिजों के उत्पादन नहीं करने एवं 02 क्षेत्रों में अनुबंध निष्पादन नहीं करने का कारण कोरोना काल एवं अन्य तकनीकी समस्या बताई गई। उपसमिति के सदस्यों के द्वारा भी परियोजना से विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई पौधा रोपण क्षेत्र का सुरक्षा एवं 60 प्रतिशत जीवित रखने के निर्देश भी दिये गये एवं कोरोना काल में उत्खनन एवं परिवहन एवं निर्माण की समस्या से भी अवगत हुए।
- उक्तानि परियोजना प्रस्तावक को ग्राम–मांजा में आवंटित उक्त 5 अलवाई अनुज्ञा के अनुसार उत्खनन कार्य एवं अनुबंध निष्पादन नहीं किया गया है फिर भी उनके द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में दिए गए निर्देशानुसार सी.ई.आर. कार्य के अंतर्गत ग्राम–मांजा के गौठान एवं अन्य शासकीय भूमि में लगभग 500 पौधों का रोपण कार्य किया गया है। मांजा के समीप स्थित ग्राम–मोहनपुर के हाईस्कूल एवं मिडिल स्कूल में वृक्षारोपण किया गया है।
- अनुज्ञाधारी के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग (बिलासपुर–अम्बिकापुर) के दोनों ओर पश्चिम्य लगभग 500 वृक्षों का रोपण किया गया है। उक्त वृक्षारोपण को सुरक्षात्मक दृष्टि से फेंसिंग करने तथा सिंचाई व्यवस्था आदि करने कारण

निर्देशित किया गया एवं जो पौधे जीवित नहीं है उसे भी बदलकर नया पौधा लगाने हेतु निर्देश दिया गया है।

- इसके अतिरिक्त शासकीय प्राथमिक शाला महेशपुर, मोहनपुर एवं ग्राम भांजा में हैण्डपंप के समीप वाटर निकासी हेतु सोकपिट (Rechange) का भी निर्माण कराया गया है।
- अनुज्ञाधारी द्वारा प्राथमिक शाला महेशपुर एवं भांजा में पेयजल हेतु स्कूल में वाटर फिल्टर भी उपलब्ध कराया गया है। ग्राम-भांजा के प्राथमिक शाला में पेय जल हेतु सिंटेक्स टंकी एवं नलजल कनेक्शन कार्य कराया गया है। (फोटोग्राफ संलग्न है।)
- उपरोक्तानुसार निरीक्षण उप समिति द्वारा तथ्यों को संज्ञान में लेकर सरपंच, शाखाओं एवं स्कूल शिक्षकों से भी चर्चा की गई एवं ग्राम लोगों ने भी कार्य संतोष जनक होना बताया है।
- अंत में समिति द्वारा की गई उपरोक्त प्लांटेशन, पानी टंकी, नलजल सप्लाई व्यवस्था एवं सोकपिट का एवं अन्य कार्यों का फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा आगामी 5 वर्ष तक रखरखाव / संधारण करने का निर्देश भी दिया गया।"

3. निरीक्षण के दौरान उपसमिति द्वारा परिसीमन प्रस्तावक को दिये गये निर्देशों के आधार पर वर्तमान में परिसीमन प्रस्तावक द्वारा दिनांक 23/06/2023 को ग्राम भांजा में स्थित स्वीकृत 5 अस्थाई अनुज्ञा के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है–

   i. ग्राम भांजा स्थित अस्थाई अनुज्ञा ख.क्र. 216/29 रकबा 1.00 हेक्ट., ख.क्र. 222/3 रकबा 0.700 हेक्ट., ख.क्र. 219/2 रकबा 0.810 हेक्ट., ख.क्र. का अनुज्ञा दिनांक 01.07.2021 को हुआ था तथा ख.क्र. 217/41 रकबा 1.00 हेक्ट. ख.क्र. 217/38 रकबा 1.00 हेक्ट. का अनुज्ञा वर्तमान दिनांक तक लंबित है।

   ii. उपरोक्त खदानों में उत्खनन कार्य कोरोना काल एवं तकनीकी समस्या की वजह से नहीं किया गया है, और ना ही उत्पादन किया गया है।

   iii. वर्तमान में उपरोक्त खदाने दिनांक 30.06.2023 तक स्वीकृत है। एवं पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 09.04.2021 से 08.04.2023 तक प्राप्त था। ख. क्र. 217/38 एवं 217/41 का पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 28.06.2021 से 27.06.2023 तक है।

   iv. उपरोक्त खदानों की स्वीकृति अवधि दिनांक 01.07.2021 से 30.06.2023 तक प्राप्त हुई है। एवं ख. क्र. 217/38 एवं 217/41 का वर्तमान तक अनुज्ञा निष्पादन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है।

   v. पर्यावरणीय स्वीकृति में दिये गए शर्तों के परिपालन में अनुज्ञाधारी द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों का पालन किया गया है जो कि निम्नानुसार है–

      (1) ग्राम भांजा, ग्राम पंचायत भांजा के शासकीय परिसर में लगभग 500 पौधे रोपित किया गया है।

      (2) ग्राम भांजा, ग्राम पंचायत भांजा के शासकीय भूमि में लगभग 200 पौधो का रोपण कार्य किया गया है।

(3) ग्राम मोहनपुर में स्थित शासकीय हाई स्कूल एवं पूर्व माध्यमिक शाला में लगभग 250 पौधों का रोपण कार्य किया गया है।

(4) अनुज्ञाधारी के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर प्रति वृक्ष लगभग 500 नग वृक्षारोपण किया गया है।

(5) अनुज्ञाधारी द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला महेशपुर, शासकीय प्राथमिक शाला मोहनपुर एवं शासकीय प्राथमिक शाला भाजा में शौचालयों का निर्माण कार्य कराया गया है।

(6) अनुज्ञाधारी द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला महेशपुर, एवं शासकीय प्राथमिक शाला भाजा में पेयजल हेतु वाटर फिल्टर उपलब्ध कराया गया है।

(7) शासकीय प्राथमिक शाला भाजा में पेयजल हेतु सिन्टेक्स टंकी एवं नल-जल कनेक्शन कार्य का संपादन जनहित हेतु कराया गया है।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 593/ख.नि.1/खनिज/2023 अम्बिकापुर, दिनांक 17/05/2023 द्वारा केसर्स डी.डी. मायर (डी.डी.) की ग्राम भाजा में स्कीडूल 5 अक्वाई अनुज्ञा के संबंध में जानकारी प्रपत्र (अ) में तैयार कर प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार जानकारी निम्न है:-

अनुज्ञा क्रमांक	अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक	अवधि		उत्खनन प्रस्तावित (घनमीटर)	अनुज्ञा दिनांक	उत्खनन स्थल	खदानों का अनुज्ञा स्थिति
2	3	4	5	6	7	8	9
222/3	01/07/2021	01/07/2021	30.06.2023	194100	01/07/2021	निरंक	अनुज्ञा दिया गया है।
216/29	01/07/2021	01/07/2021	30.06.2023	86001.42	01/07/2021	निरंक	अनुज्ञा दिया गया है।
216/3	01/07/2021	01/07/2021	30.06.2023	139999.08	01/07/2021	निरंक	अनुज्ञा दिया गया है।
217/36	-	-	-	-	-	निरंक	अनुज्ञा निस्तारण नहीं किया गया।
217/41	-	-	-	-	-	निरंक	

5. समिति का मत है कि सी.टी.ओ. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु कि-पहीन समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.टी.ओ. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित कि-पहीन समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

6. माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा मानीय पर्यावरण विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 836/खनिज/खनि.ऊ/2022 अम्बिकापुर, दिनांक 18/07/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–गांजा) का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स डी. डी. गाबा (प्रो.डी.) (गांजा आर्डिनरी स्टोन टेम्परी परमिट क्वारी) को ग्राम–गांजा, तहसील–लखनपुर, जिला–सरगुजा के खसरा क्रमांक 74/83 एवं 74/49 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर, 1 वर्ष में कुल क्षमता – 1,85,302 टन से अधिक न हो, हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 04/08/2023 को संपन्न 152वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि–**

1. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित स्थल के प्रायोजन से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर, जियोटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

2. उत्खनन हेतु आवंटित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेवारी परियोजना प्रस्तावक की रहेगी, इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वर्णित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

21. मेसर्स डी. डी. गाबा (प्रो.डी.) (गांजा आर्डिनरी स्टोन टेम्परी परमिट क्वारी), ग्राम–गांजा, तहसील–लखनपुर, जिला–सरगुजा (संचालनालय का नस्ती क्रमांक 2140)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 206519/2022, दिनांक 27/08/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–गांजा, तहसील–लखनपुर, जिला–सरगुजा स्थित खसरा क्रमांक 74/44, कुल क्षेत्रफल–0.812 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2,33,800.36 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 43वीं बैठक दिनांक 29/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आनन्द वर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. एन.एम.ए.आई. द्वारा मेसर्स डी. डी. माइनर (ले.वी.) को जारी वर्क ऑर्डर की प्रति प्रस्तुत की गई है।
2. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत भांजा का दिनांक 24/01/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. **उत्खनन योजना** – टी.पी. क्वारी प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एवं क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.अ.), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1344/ख.नि.-2/2022 रायगढ़, दिनांक 08/08/2022 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 834/खनिज/ख.नि.3/2022 अम्बिकापुर, दिनांक 18/07/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 833/ख.नि.3/2022 अम्बिकापुर, दिनांक 18/07/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. मेसर्स डी. डी. माइनर (ले.वी.) के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 410/खनिज/ख.नि.3/ए.अ./2022 अम्बिकापुर, दिनांक 21/03/2022 द्वारा जारी की गई है। एल.ओ.आई. में 6 मीटर की गहराई तक पत्थर उत्खनन किया जाने का उल्लेख है। जिसके संदर्भ में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 6 (ख) तथा प्रावधान 9 की कंडिका अठारह (ख) के तहत् खनिज उपलब्धता के संदर्भ में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार जांच प्रतिवेदन में खनिज लगभग 100 मीटर की गहराई तक होना बताया गया है।
8. **भू-स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 74/44 की हेमंत नंद सिंह के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सरगुजा उत्तरमंडल, अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक/वन.अधि./1381 अम्बिकापुर, दिनांक 01/07/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र से 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

11. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–गोंजा 800 मीटर, स्कूल ग्राम–गोंजा 1 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–लखनपुर 7.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.0 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 28.45 कि.मी. दूर है। रेहर नदी 1.65 कि.मी., नहर 1.45 कि.मी., तालाब 1.6 कि.मी. एवं मौसमी नाला 780 मीटर दूर स्थित है।

12. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

13. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 6,03,200 टन, माईनेबल रिजर्व 2,46,218 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 2,33,907 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2.806 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 24 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.3 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,085.5 घनमीटर है, जिसमें से 883 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में पौधारोपण वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जायेगा। क्षेत्र की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 1 वर्ष है। लीज क्षेत्र में प्रकार भराव की प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग व कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	2,33,900.36

14. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5.74 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 279 पौध वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार वृक्षारोपण के लिए राशि 3,485 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 50,000 रूपये, खाद के लिए राशि 13,950 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव के लिए राशि 1,35,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में राशि 2,02,435 रूपये तथा कुल राशि 5,98,500 रूपये आगामी 4 वर्षों हेतु पृथकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि "वृक्षारोपण के प्रयोजन की राशि को आवेदित खदान के 7.5 मीटर की हरित पट्टी में प्रयोजन अनुसार वृक्षारोपण किया जाकर राशि खर्च की जायेगी। खर्च किये गए राशि की जानकारी पर्यावरण स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में दिया जायेगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आपके द्वारा दी गई अनुशासनात्मक/वैधानिक कार्यवाही के लिए मैं बाध्य रहूंगा"।

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
12.75	2%	0.255	Following activities at nearby Govt. primary school **Village- Mohanpur**	
			Running water arrangement in Toilet	
			Water tank (1,500 liter)	0.20
			Pipeline, Installtion & Accessories	
			Environment Conservation related Books	0.10
			Steel Almira	
			Plantation around school campus	0.48
			Total	**0.78**

18. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 40 नग पौधों के लिए राशि 400 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 8,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,000 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव के लिए राशि 22,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 31,400 रूपये एवं द्वितीय वर्ष में 48,000 रूपये हेतु पाटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि "सी.ई.आर. के प्रयोजन के लिए चयनित राशि को सी.ई.आर. प्रयोजन के अनुसार खर्च किया जाएगा। खर्च किये गए राशि की जानकारी पर्यावरण स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में दिया जायेगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आपके द्वारा दी गई अनुशासनात्मक/वैधानिक कार्यवाही के लिए मैं बाध्य रहूंगा"।

19. समिति का मत है कि सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में 100 वृक्षारोपण किये जाने हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का पाटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

20. पूर्व में (1) मेसर्स डी.डी.गायत्री (जे.वी.), ग्राम–मांजा, तहसील–लखनपुर, जिला–सरगुजा (प्रयोजन नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 184691/2020, दिनांक 22/07/2020), (2) मेसर्स डी.डी.गायत्री (जे.वी.), ग्राम–मांजा, तहसील–लखनपुर, जिला–सरगुजा (प्रयोजन नम्बर – एसआईए

/सीजी /एसआईए / 165106/2020, दिनांक 25/07/2020), (3) मेसर्स डी.डी.नायर (जे.वी.), ग्राम–मांजा, तहसील–लखनपुर, जिला–सरगुजा (प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एसआईए / 165106/2020, दिनांक 25/07/2020), (4) मेसर्स डी.डी. नायर (जे.वी.), ग्राम–मांजा, तहसील–लखनपुर, जिला–सरगुजा (प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एसआईए /202667/2021, दिनांक 09/03/2021) एवं (5) मेसर्स डी.डी. नायर (जे.वी.), ग्राम–मांजा, तहसील–लखनपुर, जिला–सरगुजा (प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एसआईए /202661/2021, दिनांक 09/03/2021) को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के सी.ई.आर. के भौतिक सत्यापन हेतु तीन सदस्यीय उपसमिति में श्री एन. के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़, श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अम्बिकापुर का गठन किया जाना है।

21. ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में वैज्ञानिक वृक्षारोपण के लिए उपयोग किये जाने उपरांत शेष 1,112.5 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर सहमति प्राप्त भूमि (भू–स्वामी – हेमंत नंद सिंह, खसरा क्रमांक 216/1 एवं 224/4) में भण्डारित कर संरक्षित किये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। साथ ही ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. कार्यालय सहायक अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, उपखंड अम्बिकापुर जिला–सरगुजा के ज्ञापन दिनांक 25/11/2022 अनुसार "ग्राम मांजा के खसरा क्रमांक 74/44 के आस पास खुदाई के दौरान 100 फीट से अधिक गहराई में पानी उपलब्ध होता है" का उल्लेख है।

23. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–

1. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्थल परिसर में 100 वृक्षारोपण किये जाने हेतु पौधे, बीडिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं लागतवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।

2. पूर्व में (1) मेसर्स डी.डी.गावर (जे.वी.), ग्राम-गोंजा, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 164661/2020, दिनांक 22/07/2020), (2) मेसर्स डी.डी.गावर (जे.वी.), ग्राम-गोंजा, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 165108/2020, दिनांक 29/07/2020), (3) मेसर्स डी.डी.गावर (जे.वी.), ग्राम-गोंजा, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 165108/2020, दिनांक 29/07/2020), (4) मेसर्स डी.डी. गावर (जे.वी.), ग्राम-गोंजा, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /202557/2021, दिनांक 09/03/2021) एवं (5) मेसर्स डी.डी. गावर (जे.वी.), ग्राम-गोंजा, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /202601/2021, दिनांक 09/03/2021) को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के सी.ई.आर. के भौतिक सत्यापन हेतु तीन सदस्यीय उपसमिति में श्री एन. के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़, श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अम्बिकापुर का गठन किया जाता है। उपसमिति के निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत प्रस्ताव पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पृ. ज्ञापन दिनांक 02/03/2023 द्वारा परियोजना प्रस्तावक को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/03/2023 द्वारा श्री एन. के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़, श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अम्बिकापुर को स्थल निरीक्षण किये

जाने हेतु सूचित किया गया। तदानुसार उपसमिति द्वारा दिनांक 10/04/2023 को स्थल निरीक्षण कर दिनांक 23/05/2023 को निरीक्षण प्रतिवेदन प्रेषित किया गया।

(ब) समिति की 47वीं बैठक दिनांक 14/06/2023

समिति द्वारा गवाही, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 1,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 15,000 रूपये, खाद के लिए राशि 5,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 9,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 30,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 40,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
2. उपसमिति द्वारा प्रेषित निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

- "राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात समिति पर्यावास भवन सेक्टर–19 नया रायपुर के कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2324 /एस.ई.ए.सी. /सरगुजा / दिनांक 02/03/2023 के पालनार्थ गठित उपसमिति द्वारा दिनांक 09/03/2021 एवं 10/07/2023 को डी.डी.गावर (जे.डी.) को पूर्व में सरगुजा जिले के ग्राम गांजा में आवंटित 5 अस्थायी अनुज्ञा क्षेत्रों का निरीक्षण दिनांक 10/04/2023 को किया गया।
- निरीक्षण के दौरान पर्यावरण संरक्षण बोर्ड सरगुजा के क्षेत्रीय अधिकारी श्री पी.के. राई, खनि निरीक्षक श्री विनोद साहू एवं श्री डी.डी.गावर कंपनी के स्थानीय प्रतिनिधी गण उपस्थित थे।
- मेसर्स डी. डी. गावर (जे.डी.) को ग्राम गांजा तहसील लखनपुर जिला सरगुजा को 5 अस्थायी अनुज्ञा निम्नानुसार आवंटित है:–
  1. मेसर्स डी.डी. गावर (जे.डी.) को ग्राम गांजा, तहसील–लखनपुर, जिला–सरगुजा (प्रपोजल क्रमांक एसआईए / सीजी / एमआईएन / 164691 /2020) दिनांक 25/07/2022।
  2. मेसर्स डी.डी. गावर (जे.डी.) का ग्राम–गांजा, तहसील–लखनपुर, जिला–सरगुजा (प्रपोजल क्रमांक एसआईए / सीजी / एमआईएन / 165108 /2020) दिनांक 25/07/2022।
  3. मेसर्स डी. डी. गावर (जे.डी.) को ग्राम–गांजा, तहसील–लखनपुर, जिला सरगुजा (प्रपोजल क्रमांक एसआईए / एमआईएन /165108 / 2020) दिनांक 25/07/2022।
  4. मेसर्स डी.डी. गावर (जे.डी.) को ग्राम–गांजा, तहसील–लखनपुर, जिला–सरगुजा (प्रपोजल क्रमांक एसआईए / एमआईएन / 202867 /2021) दिनांक 09/03/2021।
  5. मेसर्स डी.डी. गावर (जे.डी.) को ग्राम गांजा, तहसील–लखनपुर, जिला–सरगुजा (प्रपोजल क्रमांक एसआईए / एमआईएन /202801/2021) दिनांक 09/03/2021।
- उपरोक्त में वर्णित सरल क्रमांक 1 से 3 अस्थाई अनुज्ञा का अनुबंध निष्पादन परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 01/07/2021 को 2 वर्ष की अवधि के लिए

जिसकी समाप्ति 30/06/2023 है। इन पट्टों क्षेत्रों में अभी तक उत्खनन कार्य एवं खनिज उत्पादन नहीं किया है किन्तु कुछ स्थानों पर मालूती तौर पर ग्रामीणों द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए खनन किया है, जो परिलक्षित होता है। जिसकी पूरी समिति द्वारा स्थल निरीक्षण के दौरान की गई एवं क्षेत्र अधिकारी सरपुरा द्वारा भी मौखिक जानकारी उनके पत्र क्रमांक 582 दिनांक 17/08/2023 के माध्यम से दी गई है।

- उपरोक्त में वर्णित सरल क्रमांक 4 से 5 खदानों (02 खदान) को स्वीकृति 09/03/2021 को 2 वर्षों के लिए की गई थी, इसमें किसी भी प्रकार का अनुबंध नहीं किया गया है।
- समिति को परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुबंध के पश्चात् 3 क्षेत्रों में खनिजों के उत्पादन नहीं करने एवं 02 क्षेत्रों में अनुबंध निष्पादन नहीं करने का कारण कोरोना काल एवं अन्य तकनीकी समस्या बताई गई। उपसमिति के सदस्यों के द्वारा भी परियोजना से विभिन्न वहनुओं पर चर्चा की गई पौधा रोपण क्षेत्र का सुरक्षा एवं 80 प्रतिशत जीवित रखने के निर्देश भी दिये गये एवं कोरोना काल में उत्खनन एवं परिवहन एवं निर्माण की समस्या से भी अवगत हुए।
- यद्यपि परियोजना प्रस्तावक को ग्राम-गांजा में आवंटित उक्त 5 अस्थायी अनुज्ञा के अनुसार उत्खनन कार्य एवं अनुबंध निष्पादन नहीं किया गया है फिर भी उनके द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में दिए गए निर्देशानुसार सी.ई.आर. कार्य के अंतर्गत ग्राम-गांजा के पठार एवं अन्य शासकीय भूमि में लगभग 500 पौधों का रोपण कार्य किया गया है। गांजा के समीप स्थित ग्राम-मोहनपुर के हाईस्कूल एवं मिडिल स्कूल में वृक्षारोपण किया गया है।
- अनुज्ञाधारी के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग (बिलासपुर-अम्बिकापुर) के दोनों ओर पश्चिम लगभग 500 वृक्षों का रोपण किया गया है। उक्त वृक्षारोपण को सुरक्षात्मक दृष्टि से फेंसिंग करने तथा सिंचाई व्यवस्था आदि करने बाबत निर्देशित किया गया एवं जो पौधे जीवित नहीं है उसे भी बदलकर नया पौधा लगाने हेतु निर्देश दिया गया है।
- इसके अतिरिक्त शासकीय प्राथमिक शाला महेशपुर, मोहनपुर एवं ग्राम गांजा में हैण्डपंप के समीप वाटर रिचार्ज हेतु सोकपिट (Recharge) का भी निर्माण कराया गया है।
- अनुज्ञाधारी द्वारा प्राथमिक शाला महेशपुर एवं गांजा में पेयजल हेतु स्कूल में वाटर फिल्टर भी उपलब्ध कराया गया है। ग्राम-गांजा के प्राथमिक शाला में पेय जल हेतु सिंटेक्स टंकी एवं नलजल कनेक्शन कार्य कराया गया है। (फोटोग्राफ संलग्न है।)
- उपरोक्तानुसार निरीक्षण उप समिति द्वारा लोगों को संज्ञान में लेकर सरपंच, ग्रामवासी एवं स्कूल शिक्षकों से भी चर्चा की गई एवं उन लोगों ने भी कार्य संतोष जनक होना बताया है।
- अंत में समिति द्वारा की गई उपरोक्त वृक्षारोपण, पानी टंकी, नलजल स्थापना व्यवस्था एवं रिचार्जपीट का एवं अन्य कार्यों का फोटोग्राफ्स भी प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा आगामी 5 वर्ष तक रखरखाव / संधारण करने का निर्देश भी दिया गया।"

3. निरीक्षण के दौरान उपस्थिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को दिये गये निर्देशों के आधार पर वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 23/06/2023 को ग्राम मांजा में स्थित स्वीकृत 5 अस्थाई अनुज्ञा के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

i. ग्राम मांजा स्थित अस्थाई अनुज्ञा ख.क्र. 216/29 रकबा 1.00 हेक्ट., ख.क्र. 222/3 रकबा 0.700 हेक्ट., ख.क्र. 219/2 रकबा 0.815 हेक्ट., ख.क्र. का अनुबंध दिनांक 01.07.2021 को हुआ था तथा ख.क्र. 217/41 रकबा 1.00 हेक्ट., ख.क्र. 217/36 रकबा 1.00 हेक्ट. का अनुबंध वर्तमान दिनांक तक लंबित है।

ii. उपरोक्त खदानों में उत्खनन कार्य कोरोना काल एवं तकनीकी समस्या की वजह से नहीं किया गया है, और ना ही उत्पादन किया गया है।

iii. वर्तमान में उपरोक्त खदाने दिनांक 30.06.2023 तक स्वीकृत है। एवं पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 09.04.2021 से 08.04.2023 तक प्राप्त था। ख. क्र. 217/36 एवं 217/41 का पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 28.06.2021 से 27.06.2023 तक है।

iv. उपरोक्त खदानों की स्वीकृति अवधि दिनांक 01.07.2021 से 30.06.2023 तक प्राप्त हुई है। एवं ख. क्र. 217/36 एवं 217/41 का वर्तमान तक अनुबंध निष्पादन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है।

v. पर्यावरणीय स्वीकृति में दिये गए शर्तों के परिपालन में अनुज्ञाधारी द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों का पालन किया गया है जो कि निम्नानुसार है:–

(1) ग्राम मांजा, ग्राम पंचायत मांजा के शासकीय परिसर में लगभग 500 पौधे रोपित किया गया है।

(2) ग्राम मांजा, ग्राम पंचायत मांजा के शासकीय भूमि में लगभग 200 पौधों का रोपण कार्य किया गया है।

(3) ग्राम मोहनपुर में स्थित शासकीय हाई स्कूल एवं पूर्व माध्यमिक शाला में लगभग 250 पौधों का रोपण कार्य किया गया है।

(4) अनुज्ञाधारी के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर पंक्ति बद्ध लगभग 500 नग वृक्षारोपण किया गया है।

(5) अनुज्ञाधारी द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला महेशपुर, शासकीय प्राथमिक शाला मोहनपुर एवं शासकीय प्राथमिक शाला मांजा में सोकपिट निर्माण कार्य कराया गया है।

(6) अनुज्ञाधारी द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला महेशपुर एवं शासकीय प्राथमिक शाला मांजा में पेयजल हेतु वाटर फिल्टर उपलब्ध कराया गया है।

(7) शासकीय प्राथमिक शाला मांजा में पेयजल हेतु सिन्टेक्स टंकी एवं नल–जल कनेक्शन कार्य का संचालन जनहित हेतु कराया गया है।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 583/ख. नि.1/खनिज/2023 अम्बिकापुर, दिनांक 17/08/2023 द्वारा मेसर्स डी.के. पावर (जे.वी.) को ग्राम मांजा में स्वीकृत 5 अस्थाई अनुज्ञा के संबंध में जानकारी

प्रपत्र (ज) में तैयार कर प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार जानकारी निम्न है –

अनुज्ञप्ति क्रमांक	अनुज्ञप्ति स्वीकृति दिनांक	अवधि		उत्खनन प्रस्तावित (घनमीटर)	अनुज्ञप्ति दिनांक	उत्खनन भाग	खदानों का अनुक्रमांक स्थिति
2	3	4	5	6	7	8	9
222/3	01/07/2021	01/07/2021	30.06.2023	1941000	01/07/2021	निरंक	अनुज्ञप्ति निरंक गया है।
218/36	01/07/2021	01/07/2021	30.06.2023	56081.42	01/07/2021	निरंक	अनुज्ञप्ति निरंक गया है।
219/2	01/07/2021	01/07/2021	30.06.2023	1368000	01/07/2021	निरंक	अनुज्ञप्ति निरंक गया है।
217/36	–	–	–	–	–	निरंक	अनुज्ञप्ति निलम्बन नहीं
217/41	–	–	–	–	–	निरंक	निरंक गया।

5. समिति का मत है कि सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु कि-व्हीक समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित कि-व्हीक समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

6. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सर्वेट फण्डेन विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 138 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 12/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के द्वारा क्रमांक 834/खनिज/ख.नि.3/2022 अंबिकापुर, दिनांक 18/07/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–भांजा) का क्षेत्रफल 0.979 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स डी. डी. रावत (प्रो.डी.) (भांजा आर्डिनरी स्टोन टेम्परेरी पर्मिट खदान) को ग्राम–भांजा, तहसील–लखनपुर, जिला–सरगुजा के खसरा क्रमांक 74/44 में स्थित लघुखनिज (सोन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–0.979 हेक्टेयर, 1 वर्ष के कुल क्रमशः–2,33,900 टन से अधिक न हो, हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 04/08/2023 को संपन्न 160वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा

नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:-**

1. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर, जियोटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
2. उत्खनन हेतु आवंटित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी परियोजना प्रस्तावक की रहेगी, इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त सहित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

22. गेरवा मोहम्दरा माईन्स स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री शैलेष राय), ग्राम-मोहम्दरा, तहसील-पथरिया, जिला-मुंगेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2154)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी/ एमआईएन/ 286116/2022, दिनांक 27/07/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (मीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-मोहम्दरा, तहसील-पथरिया, जिला-मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 696, 694/2 एवं 743, कुल क्षेत्रफल-0.563 हेक्टेयर में है। खदान की आवंटित उत्खनन क्षमता-3,326 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 08/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 434वीं बैठक दिनांक 18/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दीपक कुमार राय, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**
   - पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 694/2, 696 एवं 743, कुल क्षेत्रफल – 0.562 हेक्टेयर, क्षमता – 3,500 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण आघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-मुंगेली दिनांक 01/08/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि तक थी।

     परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

"9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 30/08/2023 तक वैध होगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर में आवेदन दिनांक 17/11/2022 को किया गया है, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। साथ ही पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर में आवेदन दिनांक 17/11/2022 को किया जाना बताया गया है। अतः समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार 200 नग वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक/1387/खनि.02/2021 मुंगेली, दिनांक 26/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
दिनांक 01/09/2017 से 31/03/2018 तक	250
2018-19	650
2019-20	870
2020-21	1,370

v. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक/824/खनि.02/2022 मुंगेली, दिनांक 16/11/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार 2021-22 में किये गये उत्खनन की मात्रा 1,880 टन है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सोहागपुरा का दिनांक 09/08/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र 5 वर्ष हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि प्रस्तुत ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता वर्तमान में समाप्त हो चुकी है। अतः उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – खदानी प्लान एवं विस्तृत खदानी क्लोजर प्लान एण्ड इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशासन), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1871/खनि /तीन–1/2018 बलौदाबाजार, दिनांक 27/01/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान**– कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 715/खनि–03/2020 मुंगेली, दिनांक 26/09/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 लघुखनिज खदानें, क्षेत्रफल 3.676 हेक्टेयर है, इसके अतिरिक्त 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 अन्य डोलोमाईट खदान, क्षेत्रफल 4.97 हेक्टेयर है, जिसे दिनांक 29/07/2020 को एल.ओ.आई. जारी किया गया है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1387/खनि–03/2020 मुंगेली, दिनांक 28/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्री सैलेश राय के नाम पर है। लीज डीड 5 वर्षों अर्थात् दिनांक 13/06/2006 से 12/06/2011 तक की अवधि हेतु किए थी। तत्पश्चात् लीज डीड 25 वर्षों अर्थात् दिनांक 13/06/2011 से 12/06/2036 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 696 श्री मनोज राय, खसरा क्रमांक 694/2 श्रीमती विनीता राय एवं खसरा क्रमांक 743 श्री भोला के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बिलासपुर वनमण्डल, जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./3878/ बिलासपुर, दिनांक 05/11/2008 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–गोहपट्टा 300 मीटर, स्कूल ग्राम–गोहपट्टा 800 मीटर एवं अस्पताल ग्राम–सरगांव 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 530 मीटर एवं राज्यमार्ग 16 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 3.8 कि.मी., मीलनी नाला 3.85 कि.मी., तालाब 300 मीटर एवं नहर 5.1 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित खदानी प्लान के अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 2,03,205 टन (81,562 घनमीटर), माइनेबल रिजर्व 40,783 टन (16,326 घनमीटर) है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 1,88,842 टन

(79,537 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 35,853 टन (14,381 घनमीटर) शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीम पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,782.5 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर थी, जिसे पूर्व से ही उत्खनित किया जा चुका है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 20 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं बंदूक से ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	3,325	षष्टम	3,325
द्वितीय	3,325	सप्तम	3,325
तृतीय	3,325	अष्टम	3,325
चतुर्थ	3,325	नवम	3,325
पंचम	3,325	दशम	3,325

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 2.92 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल एवं ग्राम पंचायत के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत गोहमढ़ा का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 278 नग वृक्षारोपण वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 200 नग वृक्षारोपण किया गया है। शेष 78 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
खदान की बाउण्ड्री में (78 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण हेतु राशि	780	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900
	बोरिंग, सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	1,75,000	1,75,000	1,75,000	1,75,000	1,75,000
कुल राशि = 11,60,260		2,32,680	2,31,900	2,31,900	2,31,900	2,31,900

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीम पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीम पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,782.5 वर्गमीटर क्षेत्र है,

जिसमें से 191 क्यूबिक मीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित खनी प्लान में किया गया है। उक्त के संबंध में प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त उत्खनित क्षेत्र का पुनर्भरण किया जा चुका है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मोन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII(i) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. **पैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में संकीर्ण होने के कारण 470 क्यूबिक मीटर क्षेत्रफल को पैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित खनी प्लान में किया गया है।

18. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
24.18	2%	0.483	Following activities at Government Primary School **Village- Mohbhatta**	
			Installation of UV water filter and its AMC	0.25
			Running water arrangement in toilet	0.25
			Total	**0.50**

19. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्रधानाचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि प्रस्तुत सी.ई.आर. कार्य के अतिरिक्त प्रस्तावित स्कूल में आसपास एवं पर्यावरण संबंधी सुधारों का भी प्रस्ताव शामिल करते हुये सी.ई.आर. कार्य का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

20. बहुरोन क्लासिक का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. परियोजना से जिन-जिन स्थानों से फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थानों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं उक्त पौधों का 90 प्रतिशत जीवन दर सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बायण्डी मिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा उपलब्ध सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार किये गये वृक्षारोपण के पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

3. उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत किया जाए।

4. प्रस्तुत सी.ई.आर. प्रस्ताव के अतिरिक्त सहमति अनुसार प्रस्तावित स्कूल में आवश्यक पर्यावरण संबंधी सुधारों का भी प्रस्ताव शामिल करते हुये सी.ई.आर. कार्य का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

5. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर सीज़ सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण

के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये अनुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौगोलिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

8. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौगोलिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/01/2023 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 23/06/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 420वीं बैठक दिनांक 14/06/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर में आवेदन दिनांक 17/11/2022 किया गया है, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। साथ ही एस.ई.ए.सी. के ज्ञापन दिनांक 09/01/2023 के माध्यम से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर को पत्र लेख किया गया है, जो कि अप्राप्त है।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह भी बताया गया कि उनके द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर में दिनांक 17/11/2022 एवं मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर में दिनांक 17/11/2022 को आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रस्तुत किये जाने के शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

   उपरोक्त के अनुक्रम में समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुक्रम निर्धारित शर्तानुसार किये गये वृक्षारोपण के पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुए फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

3. उत्खनन के संबंध में पूर्व में जारी ग्राम पंचायत मोहभट्ठा का दिनांक 09/09/2020 के अनापत्ति प्रमाण पत्र को ही लीज अवधि तक मान्य करते हुये, अद्यतन स्थिति में ग्राम पंचायत मोहभट्ठा का दिनांक 10/05/2023 द्वारा

तीन अवधि दिनांक 12/08/2008 तक उपलब्ध कार्य करने बाबत् अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. प्रस्तुत सी.ई.आर. प्रस्ताव के अतिरिक्त सहमति अनुसार प्रस्तावित स्कूल में आवश्यक, पर्यावरण संबंधी पुस्तकों का भी प्रस्ताव शामिल करते हुये सी.ई.आर. कार्य का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
24.18	2%	0.483	Following activities at Government Primary School **Village- Mohbhatta**	
			Installation of UV water filter and its AMC	0.25
			Running water arrangement in toilet	0.25
			Donation of Steel Almira & Books related to Environment Conservation	0.10
			Total	**0.60**

5. सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या क्षेत्रीय पर्यावरण संरक्षण कार्यालय के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत समिति त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

7. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा मालेर याचिका सिविल भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-पुरुलिया के ज्ञापन, अंकांक 715/खनि-03/2020 पुरुलिया, दिनांक 26/09/2022 अनुसार आवेदित खदान

से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 लघुखनिज खदानें, क्षेत्रफल 3.010 हेक्टेयर है। आवंटित खदान (ग्राम–मोहभट्ठा) का रकबा 0.863 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवंटित खदान (ग्राम–मोहभट्ठा) को मिलाकर कुल रकबा 4.236 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में लघुखनिज स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का फालन प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स मोहभट्ठा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री शैलेष राव) को ग्राम–मोहभट्ठा, तहसील–खरसिया, जिला–पुरानी के खसरा क्रमांक 696, 694/2 एवं 743 में स्थित कुल चूनापत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–0.863 हेक्टेयर, क्षमता–3.326 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 04/08/2023 को संपन्न 152वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–**

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का फालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित स्टूल के प्राकृतिक से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर, जियोटेग फोटोग्राफ सहित जानकारी आधिकारिक रिपोर्ट में सम्मिलित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

3. उत्खनन हेतु आवंटित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित लगत हितों की हानि, भारत के लागत नियमों के अंतर्गत खदान की जिम्मेदारी परियोजना प्रस्तावक की रहेगी, इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वर्णित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

23. मेसर्स पुरा 'अ' सेण्ड माईन (प्रो.– श्री महेश कुमार गर्ग), ग्राम–पुरा, तहसील–खरसिया, जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1743)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 220907/2021, दिनांक 20/07/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत (मीन खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम–गुरा, तहसील–खरसिया, जिला–रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 241, कुल क्षेत्रफल–4.5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन नागर नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 29/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजकुमार अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि विकिल कन्सल्टिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नदी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत गुरा का दिनांक 13/10/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर पोषित है।
4. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खा.प्र.), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1057/खनि–3/रेत/2021 रायगढ़, दिनांक 10/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1056/खनि–3/रेत/2021 रायगढ़, दिनांक 10/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1056/खनि–3/रेत/2021 रायगढ़, दिनांक 10/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. **एस.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एस.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 821/खनि–3/रेत नीलामी/2021 रायगढ़, दिनांक 13/04/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–गुरा 1 कि.मी. एवं लहुन ग्राम–मुरा 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 40 कि.मी. एवं

राजमार्ग 42 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 515 मीटर, न्यूनतम 418 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 344 मीटर, न्यूनतम 315 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 161 मीटर, न्यूनतम 115 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 77 मीटर, न्यूनतम 52 मीटर है।

13. **खदान स्थल पर रेत की गहराई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर से अधिक तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 90,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.22 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 05/05/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष निवेदन से पर्यावरण उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
42.3	2%	0.84	Following activities at Nearby Government Primary School, **Village- Murra**	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Running Water Facility for toilets	0.25
			Plantation with fencing	0.10
			Total	**0.85**

16. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं गहराई का कार्य लीज द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का उल्लेख नहीं किया गया है। कुटकेट नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया का कि परियोजना प्रस्तावक को लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/08/2021 के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 14/12/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 394वीं बैठक दिनांक 12/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आर. के. अनुरिया, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा गत्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/एफ. अपी./8283/2021/रायगढ़, दिनांक 08/10/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 12 कि.मी. की दूरी पर है।
2. लीज सीमा से निकटतम अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 801/ख.नि.–3/रेत नीलामी/2021 रायगढ़, दिनांक 13/04/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु खनिज विभाग में आवेदन गया है, जिसकी प्रति प्रस्तुत की गई है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नदी की पाट में 2,500 घन वृक्षारोपण किया जाना बताया गया है। समिति का मत है कि नदी के पाट में वृक्षारोपण हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि–

1. लीज सीमा से निकटतम अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. नदी के पाट में वृक्षारोपण हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्रति प्रस्तुत किया जाए। साथ ही जिस भूमि पर वृक्षारोपण कार्य प्रस्तावित है, उस भूमि का खसरा

क्रमांक, रकबा तथा स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट होना चाहिए। उक्त भूमि किसी भी प्रकार के विवाद से रहित होना चाहिए।

4. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्थल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।

5. सी.ई.आर. के तहत् एवं नदी के घाट तथा पहुंच मार्ग में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का पाटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही रोपित पौधों की आगामी पांच वर्ष तक सुरक्षा एवं रख-रखाव का सम्पूर्ण दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा। इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जायेगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/06/2022 के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 23/05/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ङ) समिति की 470वीं बैठक दिनांक 14/06/2023:

समिति द्वारा नदी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय तहसीलदार, रायगढ़ तहसील, जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/तह.अभि./2460/2023 रायगढ़, दिनांक 03/05/2023 के जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 12 कि.मी. दूर है।

2. एल.ओ.आई. की कैलेण्डर वृद्धि बाबत् न्यायालय संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 49/2022 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 22/03/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार **"उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, छत्तीसगढ़ गौण खनिज रामचरण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 के नियम 7(4) के तहत् उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने उपरांत उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला रायगढ़ को प्रत्यावर्तित किया जाता है।"** होना बताया गया है। जारी एल.ओ.आई. में "रेत खदान उत्खनन पट्टा अवधि 2 वर्ष की स्वीकृति के लिए निम्नलिखित शर्तों के पूर्ति हेतु यह आशय पत्र जारी किया जा रहा है।" का उल्लेख है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी में ग्राम पंचायत मुरा के सहमति उपरांत प्रस्तावित स्थान खसरा क्रमांक 243/2, क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर में कुल 1,500 नग वृक्षारोपण का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,500 नग पौधों के लिए राशि 1,05,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 75,000 रूपये, खाद के लिए राशि 15,000 रूपये तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,56,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,51,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 6,72,000 रूपये हेतु पाटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

4. सी.ई.आर. के तहत् स्कूल में किये जाने वाले कार्य हेतु स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. सी.ई.आर. के तहत् किये जाने वाले वृक्षारोपण का आगामी पांच वर्ष तक सुरक्षा एवं रख-रखाव का सम्पूर्ण दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होना। इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

6. सी.ई.आर. के तहत् स्कूल में किये जाने वाले पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विस्तृत विवरण प्रस्ताव सहित प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के भीतर गैर माईनिंग क्षेत्र में सीमा स्तंभ लगाया जाना आवश्यक है।

8. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

9. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से कराई जावे।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। मण्डल नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खदान (ग्राम-मुरा) का रकबा 4.5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

3. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा -**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जावें।

   ii. पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट

(दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सभी पूर्व निर्धारित रिफ्र बिन्दुओं पर किया जायेगा।

iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं रिफ्र बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स Levels का मापन किया जाएगा।

iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित रिफ्र बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स Levels के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अप्रैल 2023, 2024, 2025 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

4. सी.ई.आर. के तहत् स्कूल में किये जाने वाले पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स मुरा "अ" सेण्ड माईन (प्रो– श्री महेश कुमार गर्ग), खसरा क्रमांक 241, ग्राम–मुरा, तहसील–खरसिया, जिला–रायगढ़, कुल लीज क्षेत्रफल 4.5 हेक्टेयर क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 45,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों/मशीनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।

7. ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत् 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 04/08/2023 को संपन्न 152वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–**

1. सी.ई.आर. के तहत् स्कूल में किये जाने वाले पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत जाए।

2. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर, जियोटेग फोटोग्राफ सहित जानकारी

आंकलकीय रिपोर्ट में समाहित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वर्णित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

24. मेसर्स कु. निकिता गुप्ता (भाटा सेण्ड माईन), ग्राम–भाटा, तहसील–जांजगीर, जिला–जांजगीर–चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1181)

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 523, दिनांक 30/05/2020 द्वारा कु. निकिता गुप्ता, भाटा सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 590, ग्राम–भाटा, ग्राम पंचायत नवागढ़, तहसील–जांजगीर, जिला–जांजगीर–चांपा, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर में से पीट माईनिंग क्षेत्र 150 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 4.98 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 74,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।

कु. निकिता गुप्ता, भाटा सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 590, ग्राम–भाटा, ग्राम पंचायत नवागढ़, तहसील–जांजगीर, जिला–जांजगीर–चांपा को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 523, दिनांक 30/05/2020 के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति को रेत उत्खनन पट्टा खदान की अवधि तक विस्तार चाहते हुये अभिखनन चालू जारी करने के संबंध में प्राप्त आवेदन पर मार्गदर्शन दिये जाने बाबत् दिनांक 05/04/2023 को पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

"श्रीमती निकिता गुप्ता, पिता श्री मनेन्द्र सिंह गुप्ता, निवासी– उपलभाठा जिला–बिलासपुर, छ.ग. के पक्ष में ग्राम भाटा, वर्तमान ग्राम पंचायत भाटा, तहसील–जांजगीर, जिला–जांजगीर–चांपा के हसदेव नदी स्थित खसरा क्रमांक 590 रकबा 5 हेक्टेयर, क्षेत्र पर रेत उत्खननयुक्त खदान स्वीकृत है। जिसका अनुबंध निष्पादन दिनांक 11/08/2020 एवं पंजीयन दिनांक 19/08/2020 को सम्पादित किया गया है। रेत उत्खननयुक्त खदान की अवधि (02 वर्ष) दिनांक 19/08/2020 से 18/08/2022 तक था जिसे पट्टेदार के आवेदन पर छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम 2019 के नियम 4 के तहत् 01 वर्ष वृद्धि किये जाने से रेत उत्खनन पट्टा खदान की अवधि (03 वर्ष) दिनांक 19/08/2020 से 18/08/2023 तक है।

उपरोक्त रेत खदान हेतु पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 30/05/2020 को 02 वर्षों के लिये जारी हुआ है। कोरोना काल में 01 वर्ष की अवधि 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के कालखण्ड में पड़ने वाली वैध अवधि के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की वैधता में 08 माह एवं 20 दिन की वृद्धि हुई है। जिससे उक्त रेत उत्खनन पट्टा खदान की पर्यावरण की अवधि दिनांक 30/03/2023 को समाप्त हो गयी है। वर्तमान में रेत उत्खनन पट्टा खदान से खनिज रेत का उत्खनन एवं परिवहन बंद है।

उत्खननकर्ता द्वारा दिनांक 31/03/2023 को इस कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर लेख किया है कि भारत का राजपत्र में प्रकाशित पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय अधिसूचना दिनांक 12/04/2022 एवं भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं

जलवायु मंत्रालय (प्रभाव आकलन विभाग) का F.No. 1A3-22/28/2022-1A.111[E181584] दिनांक 13/12/2022 के अनुसार किसी भी माइनिंग प्रोजेक्ट जिसकी पर्यावरण अनुमति 12/04/2022 की स्थिति में किए है वह स्वतः उत्खननयुक्त लीज अवधि तक या 30 वर्ष की अवधि जो भी कम हो, के लिये विस्तारित हो जायेगा। चूंकि रेत खदान की अवधि दिनांक 18/06/2023 तक है अतः रेत खदान की पर्यावरण की स्वीकृति की अवधि को रेत खदान की अवधि तक विस्तारित करते हुये रेत खदान से रेत उत्खनन एवं परिवहन हेतु अनुमति एवं अभिवहन पास जारी करने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न हेतु मार्गदर्शन दिये जाने का अनुरोध किया गया है:-

क्या ग्राम भाटा, वर्तमान ग्राम पंचायत भाटा, तहसील-जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा के इसादेव नदी स्थित खसरा क्रमांक 580 रकबा 5 हेक्टेयर क्षेत्र पर स्वीकृत रेत उत्खननयुक्त खदान जिसकी अवधि (02 वर्ष) दिनांक 19/06/2020 से 18/06/2023 है। भारत का राजपत्र में प्रकाशित पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय अधिसूचना दिनांक 12/04/2022 एवं भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय (प्रभाव आकलन विभाग) का F.No. 1A3-22/28/2022-1A.111[E181584] दिनांक 13/12/2022 के पत्र के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता को रेत खदान की अवधि सम्मलित दिनांक 18/06/2023 तक विस्तारित मानते हुये उत्खनन की अनुमति एवं रेत परिवहन हेतु अभिवहन पास जारी किया जा सकता है या नहीं?

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/04/2023 को संपन्न 149वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नक्शी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी दिशा-निर्देशों तथा भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं एवं ऑफिस मेमोरेण्डमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 47वीं बैठक दिनांक 14/06/2023:

समिति द्वारा नक्शी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. आवेदित खदान को खनिज विभाग द्वारा रेत उत्खननयुक्त दिनांक 19/06/2020 से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी किया गया तथा एक वर्ष विस्तारित करते हुए उक्त क्षेत्र में दिनांक 19/06/2020 से 18/06/2023 तक उत्खनन युक्त स्वीकृत किया गया। राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छ.ग. के ज्ञापन दिनांक 30/05/2020 द्वारा जारी दिनांक से 2 वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 के अनुसार

"Provided that in the case of mining projects or activities, the validity shall be counted from the date of execution of the mining lease." का उल्लेख है।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 के अनुसार "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus (COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid." का उल्लेख है।

4. समिति द्वारा पाया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 12/04/2022 के प्रावधानों के अनुसार खनन परियोजना के मामलों में पर्यावरणीय स्वीकृति की गणना खनन पट्टे के निष्पादन तारीख से भिन्न होगी।

साथ ही समिति द्वारा यह भी पाया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि में कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुये और तत्पश्चात् इसके नियंत्रण के लिए घोषित लॉकडाउन के दृष्टि में इस अधिसूचना के उपबंधों के अधीन मंजूर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की विधिमान्यता की अवधि की गणना के प्रयोजन के लिए विचार नहीं किया जाएगा तथापि पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में उक्त अवधि के दौरान अपनाए गये सभी क्रियाकलाप विधिमान्य समझे जायेंगे।

5. उपरोक्त अधिसूचनाओं से समिति का सर्वसम्मति से मत है कि पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता की गणना लीज खनन पट्टे के निष्पादन तारीख (दिनांक 19/06/2020) से भिन्न होगी, जिससे कि पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 18/06/2022 तक थी। चूंकि उक्त अधिसूचना दिनांक 12/04/2022 के अनुसार दिनांक 19/06/2020 से दिनांक 31/03/2021 तक की अवधि को पर्यावरणीय स्वीकृति की गणना में शामिल नहीं किये जाने के कारण अनेषित खदान की पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 31/03/2023 तक थी।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों से परियोजना प्रस्तावक को अवगत कराये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 04/08/2023 को संपन्न 152वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा गवाही/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। उपरोक्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्त तथ्यों से परियोजना प्रस्तावक को अवगत कराये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

25. मेसर्स श्रीमती भावना शर्मा (एम–1 केराकछार सेण्ड माईन), ग्राम–केराकछार, तहसील–बलौदा, जिला–जांजगीर–चांपा (संचिका का नवीन क्रमांक 1200)

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 805, दिनांक 15/06/2020 द्वारा श्रीमती भावना शर्मा, एम–1 केराकछार सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 879, ग्राम–केराकछार, तहसील–बलौदा, जिला–जांजगीर–चांपा, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।

श्रीमती भावना शर्मा, एम–1 केराकछार सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 879, ग्राम–केराकछार, तहसील–बलौदा, जिला–जांजगीर–चांपा को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 805, दिनांक 15/06/2020 के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति को रेत उत्खनन पट्टा खदान की अवधि तक विस्तार मानते हुये अभिवहन पास जारी करने के संबंध में प्राप्त आवेदन पर मार्गदर्शन दिये जाने बाबत् दिनांक 05/04/2023 को पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

"श्रीमती भावना शर्मा निवासी एल आई जी 78 विभाग 01 नियर दुर्गा चौक, हाउसिंग बोर्ड मठपारा, रायपुर जिला–रायपुर, छ.ग. के पक्ष में ग्राम–केराकछार, ग्राम पंचायत केराकछार, तहसील–बलौदा, जिला–जांजगीर चांपा (छ.ग.) के इमलदेव नदी खसरा क्रमांक 879, कुल रकबा 5 हेक्टेयर क्षेत्र पर रेत उत्खननपट्टा खदान स्वीकृत है। जिसका अनुबंध निष्पादन दिनांक 06/07/2020 एवं पंजीयन दिनांक 14/07/2020 को संपादित किया गया है। रेत उत्खननपट्टा खदान की अवधि (02 वर्ष) दिनांक 14/07/2020 से 13/07/2022 तक था जिसे पट्टेदार के आवेदन पर छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम 2019 के नियम 4 के तहत् 01 वर्ष वृद्धि किये जाने से **रेत उत्खनन पट्टा खदान की अवधि (03 वर्ष) दिनांक 14/07/2020 से 13/07/2023 तक है।**

उपरोक्त रेत खदान हेतु पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 15/06/2020 को 02 वर्षों के लिये जारी हुआ है। कोरोना काल में 01 वर्ष की अवधि 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के कालखण्ड में पड़ने वाली शेष अवधि के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की वैधता में 08 माह एवं 25 दिन की वृद्धि हुई है। जिससे उक्त रेत उत्खनन पट्टा खदान की पर्यावरण की अवधि दिनांक 30/03/2023 को समाप्त हो गयी है। वर्तमान में रेत उत्खनन पट्टा खदान से खनिज रेत का उत्खनन एवं परिवहन बंद है।

उत्खननपट्टाधारी द्वारा दिनांक 31/03/2023 को इस कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर लेख किया है कि भारत का राजपत्र में प्रकाशित पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय अधिसूचना दिनांक 12/04/2022 एवं भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय (प्रभाव आकलन विभाग) का F.No. 1A3-22/28/2022-1A.111[E181584] दिनांक 13/12/2022 के अनुसार किसी भी माईनिंग प्रोजेक्ट जिसकी पर्यावरण अनुमति 12/04/2022 की स्थिति में वैध है वह स्वतः उत्खननपट्टा लीज अवधि तक या 30 वर्ष की अवधि जो भी कम हो, के लिये विस्तारित हो जायेगा। चूंकि रेत खदान की अवधि दिनांक 13/07/2023 तक है। अतः रेत खदान की पर्यावरण की स्वीकृति की वैधता की अवधि को रेत खदान की अवधि तक विस्तारित करते हुये रेत खदान से रेत उत्खनन एवं परिवहन हेतु अनुमति एवं अभिवहन पास जारी करने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण प्रबंधक द्वारा निम्न हेतु मार्गदर्शन दिये जाने का अनुरोध किया गया है –

क्या ग्राम–केलाकछार, ग्राम पंचायत केलाकछार, तहसील–बलौदा, जिला–जीजगीर चांपा (छ.ग.) के इस्तेम नदी खसरा क्रमांक 878, कुल रकबा 5 हेक्टेयर क्षेत्र पर रेत उत्खननपट्टा प्रदान किसकी अवधि (03 वर्ष) दिनांक 14/07/2020 से 13/07/2023 है भारत का राजपत्र में प्रकाशित पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय अधिसूचना दिनांक 12/04/2022 एवं भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय (प्रभाव आकलन विभाग) का F.No. 1A3-22/28/2022-IA.111[E181584] दिनांक 13/12/2022 के पत्र के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता को रेत प्रदान की अवधि समाप्ति दिनांक 13/07/2023 तक विस्तारित मानते हुये उत्खनन की अनुमति एवं रेत परिवहन हेतु अभिवहन पास जारी किया जा सकता है या नहीं?

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/04/2023 को संपन्न 145वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया।

प्राधिकरण द्वारा विचार किया उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी दिशा–निर्देशों तथा भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं एवं अंकित मेमोरेन्डमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण उपरांत अनुकूल अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 470वीं बैठक दिनांक 14/06/2023

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण का परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. आवेदित खदान को खनिज विभाग द्वारा रेत उत्खननपट्टा दिनांक 14/07/2020 से 03 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी किया गया तथा एक वर्ष विस्तारित करते हुए उक्त क्षेत्र में दिनांक 14/07/2020 से 13/07/2023 तक उत्खनन पट्टा स्वीकृत किया गया। राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छ.ग. के ज्ञापन दिनांक 15/06/2020 द्वारा जारी दिनांक से 2 वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 के अनुसार 'Provided that in the case of mining projects or activities, the validity shall be counted from the date of execution of the mining lease.' का उल्लेख है।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 के अनुसार 'SA. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus (COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control; however, all activities undertaken during this

period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid." का उल्लेख है।

4. समिति द्वारा पाया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 12/04/2022 के प्रावधानों के अनुसार खनन परियोजना के मामलों में पर्यावरणीय स्वीकृति की गणना खनन पट्टे के निष्पादन तारीख से मान्य होगी।

साथ ही समिति द्वारा यह भी पाया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि में कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुये और तत्पश्चात् इसके नियंत्रण के लिए घोषित लॉकडाउन के दृष्टि में इस अधिसूचना के उपबंधों के अधीन गठित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की विधिमान्यता की अवधि की गणना के प्रयोजन के लिए विचार नहीं किया जाएगा तथापि पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में उक्त अवधि के दौरान अपनाए गये सभी क्रियाकलाप विधिमान्य समझे जायेंगे।

5. उपरोक्त अधिसूचनाओं से समिति का सर्वसम्मति से मत है कि पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता की गणना लीज खनन पट्टे के निष्पादन तारीख (दिनांक 14/07/2020) से मान्य होगी, जिससे कि पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 13/07/2022 तक थी। चूंकि उक्त अधिसूचना दिनांक 12/04/2022 के अनुसार दिनांक 14/07/2020 से दिनांक 31/03/2021 तक की अवधि को पर्यावरणीय स्वीकृति की गणना में शामिल नहीं किये जाने के कारण आवेदित खदान की पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 31/03/2023 तक थी।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों से परियोजना प्रस्तावक को अवगत कराये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 04/08/2023 को संपन्न 152वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। उपरोक्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्त तथ्यों से परियोजना प्रस्तावक को अवगत कराये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक-3 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार), कार्यालय परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, धमतरी के द्वारा दिनांक 24/04/2023 द्वारा **"Development of Sargi-Basanwahi Section from Km.42+600 to Km.99+500 of NH- 130CD under Raipur-Visakhapatnam under Raipur-Visakhapatnam Economic Corridor in the State of Chhattisgarh on HAM mode Environment Clearance of Stone Mine used for construction of Government project (Bharatmala) - Reg."** के संबंध में।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार), कार्यालय परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, धमतरी के द्वारा दिनांक 24/04/2023 द्वारा "Development of Sargi-Basanwahi Section from Km.42+800 to Km.99+500 of NH- 130CD under Raipur-Visakhapatnam under Raipur-Visakhapatnam Economic Corridor in the State of Chhattisgarh on HAM mode Environment Clearance of Stone Mine used for construction of Government project (Bharatmala) - Reg." के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 22/05/2023 की संपन्न 148वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज/पत्र का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

"Development of Six lane Sargi-Basanwahi Section of NH-130 CD road from Km. 42+800 to Km 99+500 under Raipur-Visakhapatnam Bharatmala Pariyojna has been awarded to Concessionaire M/s Raipur-Visakhapatnam CG-2 Highways Limited & appointed date was declared on 09.01.2023. Presently the work is under progress.

Concessionaire vide letter dt.14.01.2023 has informed that they have has applied for environment clearance for minor minerals (stones) vide application No.424308, 424420, 424447 & 424464 dt.05.04.2023 for village Dhanbuda, Teh - Magarlod & application No.424598, 424661, 424686 & 424712 dt.05.04.2023 for vill-Gondalanala, Tha-Nagri.

In view of the above, as the said Bharatmala project is highly prestigious project of Govt. of India & is being monitored by higher Authority at various level, therefore it is requested to do the needful action for environment clearance for minor mineral (stones) at the earliest so that project will be completed on schedule time."

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त पत्र का अवलोकन किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 47वीं बैठक दिनांक 14/06/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** पूर्व में समिति की आयोजित 46वीं बैठक दिनांक 22/05/2023 में प्रकरणों पर विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 04/08/2023 को संपन्न 152वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया तथा यह पाया गया कि एस.ई.आई.ए.ए. का गठन पर्यावरणीय हितों की रक्षा तथा संरक्षण के लिए किया गया है। अतः पर्यावरणीय Safeguards and protection को ध्यान में रखकर ही परियोजना (प्रोटोटाइप/खनन/निर्माण) का पर्यावरण पर प्रभाव मूल्यांकन किया जाता है तदानुसार प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिये जाने की प्रक्रिया तथा परामर्श है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार), कार्यालय परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, धमतरी को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेण्डा आइटम क्रमांक–4 **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित सहित जानकारी/दस्तावेज/पत्र प्राप्त प्रकरणों में अवलोकन पश्चात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।**

1. मेसर्स मोहनदुला लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती विनीता दास), ग्राम–मोहनदुला, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (लेबिलाल का नक्शी क्रमांक 2115)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 280581/2022, दिनांक 27/07/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (लीम स्टोन) खदान है। ग्राम–मोहनदुला, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 652, 653 एवं 654, कुल क्षेत्रफल–0.482 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता–4,750 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 434वीं बैठक दिनांक 16/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दीपक कुमार राय, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर (लीम स्टोन) खदान खसरा क्रमांक 652, 653 एवं 654, कुल क्षेत्रफल – 0.482 हेक्टेयर, क्षमता – 5,925 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मेलन निर्धारण प्राधिकरण, जिला–दुर्ग द्वारा दिनांक 01/09/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि तक थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 30/06/2023 तक वैध होगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर में आवेदन दिनांक 17/11/2022 को किया गया है, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। साथ ही पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर में आवेदन दिनांक 17/11/2022 को किया जाना बताया गया है। अतः समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार 200 नग प्लांटेशन किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक/1366/खनि.02/2021 मुंगेली, दिनांक 26/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
दिनांक 01/09/2017 से 31/03/2018 तक	1,100
2018–19	596
2019–20	1,055
2020–21	2,010

v. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक/825/खनि.02/2022 मुंगेली, दिनांक 16/11/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार 2021–22 में किये गये उत्खनन की मात्रा 3,180 टन है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मोहभट्ठा का दिनांक 15/11/2008 का अनापत्ति प्रमाण पत्र 5 वर्ष हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि प्रस्तुत ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि में समाप्त हो चुकी है। अतः उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशासन), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 2284/खनि./तीन–1/2016 बलौदाबाजार, दिनांक 17/02/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 714/खनि–02/2022–23 मुंगेली, दिनांक 26/09/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5

खदानें, क्षेत्रफल 3.757 हेक्टेयर है, इसके अतिरिक्त 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 अन्य बोल्डरलाईट खदान, क्षेत्रफल 4.97 हेक्टेयर है, जिसे दिनांक 28/07/2020 को एल.ओ.आई. जारी किया गया है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्गती के ज्ञापन क्रमांक 1369/खनि–03/2020 दुर्गती, दिनांक 28/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मजार, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि आवेदक के नाम पर है। पूर्व में लीज की लेख चुनेजा के नाम पर थी। लीज डीड 5 वर्षों अर्थात् दिनांक 08/07/2010 से 07/07/2015 तक की अवधि हेतु दिया थी। लीज डीड का हस्तांतरण दिनांक 12/03/2013 को श्रीमति विनीता राय के नाम पर किया गया। तत्पश्चात लीज डीड 25 वर्षों अर्थात् दिनांक 08/07/2015 से 07/07/2040 तक विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय उपमण्डलाधिकारी, बिलासपुर उपमण्डल, जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक/म.वि./777 बिलासपुर, दिनांक 23/01/2010 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मोहनपुरा 300 मीटर, स्कूल ग्राम–मोहनपुरा 820 मीटर, एवं अस्पताल ग्राम–सरगांव 1.9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 430 मीटर एवं राज्यमार्ग 16.2 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 3.7 कि.मी., भीसमी नाला 3.75 कि.मी., तालाब 300 मीटर एवं नहर 5.1 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 1,54,550 टन (61,860 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 58,074 टन (23,229 घनमीटर) है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 1,46,282 टन (58,517 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 50,134 टन (20,053 घनमीटर) शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,850 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर तथा कुल मात्रा 882 घनमीटर थी, जिसे पूर्व में ही उत्खनित किया जा चुका है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 25 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं अंडोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण

हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	5,925	षष्टम	4,700
द्वितीय	4,700	सप्तम	4,700
तृतीय	4,700	अष्टम	4,700
चतुर्थ	4,700	नवम	4,700
पंचम	4,700	दशम	4,700

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 2.75 घनमीटर प्रतिदिन होगी है। जल की आपूर्ति बोरवेल एवं ग्राम पंचायत के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत भोलाखट्टा का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में खाई और 7.5 मीटर की पट्टी में 200 नग वृक्षारोपण किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर वर्षाकालीन प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम वर्ष (रूपये)	द्वितीय वर्ष (रूपये)	तृतीय वर्ष (रूपये)	चतुर्थ वर्ष (रूपये)	पंचम वर्ष (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/चहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
खदान के बाउण्ड्री में (200 नग) वृक्षारोपण के रख-रखाव हेतु	खाद हेतु राशि	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	कीटिंग, सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	1,75,000	1,75,000	1,75,000	1,75,000	1,75,000
कुल राशि = 11,50,000		2,30,000	2,30,000	2,30,000	2,30,000	2,30,000

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतिकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के खाई और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 1,050 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से वर्तमान आवेदक को लीज जारी होने के पूर्व से ही 875 वर्गमीटर क्षेत्र 10 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित खाकी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीन ओपन माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
22.43	2%	0.448	Following activities at Government Middle School **Village- Mohbhatta**	
			Installation of UV water filter and its AMC	0.30
			Running water arrangement in toilet	0.17
				0.47

17. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्रधानाचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक की सहमति अनुसार प्रस्तुत सी.ई.आर. कार्य के अतिरिक्त प्रस्तावित स्कूल में आतंरिक एवं पर्यावरण संबंधी सुधारों का भी प्रस्ताव सम्मिलित करते हुये सी.ई.आर. कार्य का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. स्कूल प्रबंधन का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से म्युनिसिपल वेस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर निर्मित जल निकासी की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं उक्त पौधों का 80 प्रतिशत जीवन दर सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बारगुड़ी मिलर्स द्वारा बीपरकोल का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा उपलब्ध कार्यवाही से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार किये गये वृक्षारोपण के पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

3. उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत किया जाए।

4. प्रस्तुत सी.ई.आर. प्रस्ताव के अतिरिक्त सहमती अनुसार प्रस्तावित स्कूल में आवश्यक, पर्यावरण संबंधी पुस्तकों का भी प्रस्ताव शामिल करते हुये सी.ई.आर. कार्य का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

5. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

6. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण

मंडल, नया रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

उपरोक्त सहित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/01/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 19/01/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(अ) समिति की 448वीं बैठक दिनांक 24/01/2023:

समिति द्वारा नवीन प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर में दिनांक 07/11/2022 को तथा क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर में दिनांक 07/11/2022 को आवेदन किया गया है। साथ ही एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ ज्ञापन दिनांक 09/01/2023 के माध्यम से एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु अनुरोध पत्र लिखा गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रस्तावित पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत एस.ई.ए.सी./एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार किये गये वृक्षारोपण के पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
3. उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत गोडपठ्ठा का दिनांक 15/11/2009 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि दिनांक 15/11/2009 को जारी पंचायत प्रस्ताव में लिखी गई शर्त के अनुसार पंचायत प्रस्ताव प्राप्ति के 1 वर्ष के भीतर खनिज विभाग से लीज स्वीकृत कराना अनिवार्य था। पंचायत प्रस्ताव में दी गई उक्त शर्त के अनुसार डी खनिज विभाग से 08/07/2010 को 1 वर्ष के भीतर लीज अनुबंध करवा लिया गया था। अतः उक्त पंचायत प्रस्ताव प्रभावशील है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित स्कूल में आवासीय, पर्यावरण संबंधी पुस्तकों का भी प्रस्ताव शामिल करते हुये सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार संशोधित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh

				Rupees)
22.43	2%	0.448	Following activities at Government Middle School **Village- Mohbhatta**	
			Installation of UV water filter and its AMC	0.30
			Running water arrangement in toilet	0.17
			Books related to Environment Conservation and Almira for Books	0.10
				0.57

सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित मद्दों के प्रावधान (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

6. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सतीश चन्द्रेश विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-बुरहानपुर के ज्ञापन क्रमांक 714/खनि-02/2022-23 बुरहानपुर, दिनांक 26/09/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें (चूना पत्थर), क्षेत्रफल 3.757 हेक्टेयर है, इसके अतिरिक्त 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 अन्य डोलोमाईट खदान, क्षेत्रफल 4.97 हेक्टेयर है, जिसे दिनांक 29/07/2020 को एन.जी.आई. जारी किया गया है। आवेदित खदान (ग्राम-मोहभट्टा) का क्षेत्रफल 0.482 हेक्टेयर है। आवेदित खदान चूना पत्थर खदान है। इस प्रकार सड़क खनिज (चूना पत्थर) हेतु आवेदित खदान (ग्राम-मोहभट्टा) को मिलाकर कुल रकबा 4.239 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित सड़क खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स मोहमट्टा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती विनीता राय) को ग्राम–मोहमट्टा, तहसील–पत्थरिया, जिला–मुंगेली के खसरा क्रमांक 652, 653 एवं 654 में स्थित चूना पत्थर (लीम स्टोन) खदान, कुल क्षेत्रफल–0.482 हेक्टेयर, क्षमता – 4,700 टन प्रतिवर्ष हेतु सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/03/2023 को संपन्न 142वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स मोहमट्टा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती विनीता राय) को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निर्देश दिये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत एवं नियमानुसार जानकारी/दस्तावेज पूर्ण होने की स्थिति में ही परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/03/2023 के परिप्रेक्ष्य में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से आज दिनांक तक अप्राप्त है।

वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज प्राप्त नहीं होने के संबंध में दिनांक 21/04/2023 को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने बाबत् अनुशंसा पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 22/06/2023 को संपन्न 146वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज/पत्र का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

ग्राम मोहमट्टा तहसील पत्थरिया, जिला मुंगेली (छ.ग.) के खसरा क्रमांक 652, 653, 654 में आवंटित क्षेत्र रकबा 0.482 हेक्टेयर क्षेत्र में चूना पत्थर (लीम स्टोन) उत्खनन क्षमता 5,825 टन प्रतिवर्ष हेतु खदान को जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात प्राधिकरण जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 01/09/2017 को जारी पर्यावरण स्वीकृति क्रमांक 1178/खनि 02/डी.ई.आई.ए.ए. प्राप्त है। उक्त पर्यावरण स्वीकृति हेतु सर्टिफाईड कम्प्लायंस प्राप्त करने के लिए दिनांक 17/11/2022 को क्षेत्रीय

अधिकारी, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, एम.डी.डी.एक. अरण्य भवन सेक्टर 19, नया रायपुर अटल नगर को आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

दिनांक 17/11/2022 को सदस्य सचिव, पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर रायपुर छ.ग. को सर्टिफाईड कम्प्लायंस प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

दिनांक 17/11/2022 को क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल बिलासपुर (छ.ग.) में भी सर्टिफाईड कम्प्लायंस प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। आज दिनांक तक उक्त कार्यालयों से हमें सर्टिफाईड कम्प्लायंस प्राप्त नहीं हो पाया है।

पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त न हो पाने के कारण मेरी खदान में उत्पादन रुका हुआ है, जिससे खदान में कार्यरत दर्जन भर से ऊपर मजदूरों के परिवार को रोजगार नहीं मिल पा रहा है एवं उनकी आजीविका का साधन बंद हो गया है अतः हम समस्त की आजीविका के साधन को प्रदान करने के लिए मुझे पर्यावरण स्वीकृती जारी करने की कृपा करें। जमा किए गए पालन प्रतिवेदन का सर्टिफाईड कम्प्लायंस प्राप्त हो जाने पर जानकारी प्रस्तुत किया जाएगा। इस संबंध में शपथ पत्र दिनांक 19/01/2023 को राज्य स्तर पर्यावरण विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावास भवन सेक्टर–19, नया रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.) में जमा किया गया है। अतः आवेदित प्रकरण में सशर्त पर्यावरण स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से पूर्व में प्राधिकरण की 142वीं बैठक दिनांक 20/03/2023 में निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन मंगाये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल को पत्र लेख किया जाए।

एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/06/2023 के परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 04/07/2023 को प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 04/08/2023 को संपन्न 152वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि** सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर अटल नगर द्वारा प्रेषित पालन प्रतिवेदन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्णतः शर्तों का पालन किया जाना पाया गया तथा रोपित किये गये 200 नग पौधों में से 160 नग पौधे जीवित हैं।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से पूर्व में प्राधिकरण की 142वीं बैठक दिनांक 20/03/2023 में लिये गये निर्णय के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन जारी किये जाने का निर्णय लिया गया:–

1. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत शासकीय संस्थान (राजस्व विभाग) से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर, सिंगरौली फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाए।
2. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए।

साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को शर्तों पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

2. मेसर्स श्रीमती नीलम चोपड़ार (चंवरढाल लाईम स्टोन माईन), ग्राम-चंवरढाल, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1288)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 152544/ 2020, दिनांक 05/05/2020 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 194316/2020, दिनांक 04/07/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (लीम स्टोन) खदान है। खदान ग्राम-चंवरढाल, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 381/1, कुल क्षेत्रफल-2.02 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-49,999 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के प्रावधान क्रमांक 2317, दिनांक 28/03/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2016 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अन्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के प्रावधान दिनांक 19/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 431वीं बैठक दिनांक 28/10/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री समीर चोपड़ार, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स वी एण्ड एम सीमुक्षन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री राहुल कुमार उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 381/1, कुल क्षेत्रफल-2.024 हेक्टेयर, क्षमता-49,999 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मेलन निर्धारण प्राधिकरण जिला-राजनांदगांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 10/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 31/03/2020 तक वैध थी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित मानकानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1859/खनि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 21/10/2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्खनन (टन)
2017–18	22,216
2018–19	निरंक
2019–20	निरंक
2020–21	निरंक
2021–22	निरंक

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बरबसपुर का दिनांक 18/11/2008 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म नया रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 4325/खनि 02/म.प्र.अनुमोदन/म.ख.05/2019(1) नया रायपुर, दिनांक 27/10/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1860/ख.नि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 21/10/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 4 खदानें, क्षेत्रफल 6.364 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 264/ख.नि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 30/01/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्रीमती नीलम चोपड़ा के नाम पर है। लीज डीड 5 वर्षों अर्थात् दिनांक 31/07/2007 से 30/07/2012 तक की अवधि हेतु किया थी। लीज डीड का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 31/07/2012 से 30/07/2017 तक की अवधि हेतु किया गया था। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 31/07/2017 से 30/07/2037 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, वनमण्डल डोंगरगढ़, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/म.नि./म.क्र./10–1/2020/1844 राजनांदगांव, दिनांक 24/02/2020 से जारी अनापत्ति

प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 9 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–खरवड़ाल 480 मीटर, स्कूल ग्राम–खरवड़ाल 1 कि.मी. एवं अस्पताल राजनांदगांव 16 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 16 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3.35 कि.मी. दूर है। तालाब 2.25 कि.मी. एवं औरा नदी 8.4 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 8,44,537 टन, माईनेबल रिजर्व 5,37,412 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 5,10,541 है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीम पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,085 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट लेयी कैकेनाइजड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 मीटर है, जिसमें से पहाड़ी क्षेत्र की ऊँचाई 10 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर थी, जिसे पूर्व में उत्खनित किया जा चुका है। क्षेत्र की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 11 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जीरो हैलर से ड्रिलिंग एवं बल्टोन ब्लास्टिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	48,165	षष्टम	49,992
द्वितीय	49,986	सप्तम	49,989
तृतीय	49,986	अष्टम	49,732.5
चतुर्थ	49,992	नवम	48,920.2
पंचम	49,991.5	दशम	47,594

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 855 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
खदान के बाउण्ड्री में (855 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (50 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	49,750	4,940	4,940	4,940	4,940
	पौधिन हेतु राशि	1,27,400	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	4,920	487	487	487	487

	सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	2,66,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000
कुल राशि = 13,33,808		4,46,100	2,21,427	2,21,427	2,21,427	2,21,427

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उपबन्ध** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उपबन्ध कार्य नहीं किया गया है।

15. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण** :–

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य मार्च से 15 जून 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 10 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल**–

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum (µg/m^3)	Maximum (µg/m^3)	CPCB Standard (µg/m^3)
$PM_{2.5}$	25.87	35.56	60
PM_{10}	46.54	68.23	100
SO_2	8.54	14.66	80
NO_2	10.84	21.09	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता**– ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइड्स, फ्लोराईट, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, आर्सेनिक, मर्करी, कैडमियम एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर**–

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	47.89	54.87	75
Night L_{eq}	32.1	46.21	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणना**– भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को सम्मलित करते हुए ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 48 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.043 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 6 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 54 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.05 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ-मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड डेंसिटी अत्यंत निर्धारित मानक (Excellent) के भीतर है।

vi. जी.एल.सी. की गणना –

Contributed Concentration Levels Particulate Matter (AMBIENT INCLUDED MINING ACTIVITY) For PM_{10}					
S. No.	Activity in the mine	Maximum Baseline Concentration GLCs ($\mu g/m^3$) at core area	Calculated GLCs ($\mu g/m^3$)	Resultant Concentration ($\mu g/m^3$)	Limit (Industrial, Residential, Rural and other area) ($\mu g/m^3$)
1.	Overall Activities control ROM	65.21	13.0	78.21	100
2.	Overall Activities uncontrolled ROM		34.0	99.21	
3.	ROM Blasting		2.2	67.41	

16. लोक सुनवाई दिनांक 21/04/2022 प्रातः 12:00 बजे स्थान – ग्राम पंचायत भवन, ग्राम–बंजरहाल, तहसील–राजनांदगांव, जिला–राजनांदगांव में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सहायक सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 26/05/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

17. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये है:–

i. पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए वृक्षारोपण का कार्य किया जाए। खदान से निकलने वाले धूल से किसानों के फसलों, मनुष्यों एवं जीव–जन्तुओं पर बुरा असर पड़ रहा है।

ii. ब्लास्टिंग के समय झंडा लगाकर संकेत किया जाए। खदान में कोर ब्लास्टिंग होने से आसपास के घरों में एवं पहाड़ पर स्थित मंदिर में दरारे आ रही है।

iii. खदान के चारों ओर कांटेदार पेड़ लगाया जाए अथवा लोहे के तार द्वारा घेरा बनाया जाए, जिससे ग्रामीणों एवं जानवरों को दुर्घटना से बचाया जा सके।

iv. खदान से उत्पादित मिट्टी पत्थर को परदा में रख दिया जाता है, जिससे धरना ही बंद हो जाता है।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. धूल प्रदूषण को रोकने के लिए जल छिड़काव किया जाएगा। खदान के चारों ओर तथा कच्ची सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जाएगा, जिससे धूल का प्रदूषण कम हो जाएगा।

iii. अनुभवी कंट्रेक्टर की निगरानी में ही कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा, ब्लास्टिंग निम्न स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। ब्लास्टिंग के पूर्व हूटर बजाकर एवं झंडा लगाकर लोगों को सूचना दी जाएगी।

iii. लीज क्षेत्र के चारों ओर पौधे लगाये जाएंगे, बाउण्ड्री के चारों ओर फेंसिंग कराई गई थी जिसका संधारण कराया जाएगा।

iv. खदान से उत्खनित गिट्टी एवं पत्थर का रखाव लीज क्षेत्र में किया जाएगा।

18. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 5 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
2 कि.मी. मार्ग के दोनों तरफ (1,334 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (80 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	1,01,384	10,184	10,184	10,184	10,184
	फेंसिंग हेतु राशि	10,67,200	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	10,050	1,020	1,020	1,020	1,020
	सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	6,32,000	4,32,000	4,32,000	4,32,000	4,32,000
कुल राशि = 35,83,450		18,10,634	4,43,204	4,43,204	4,43,204	4,43,204

कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
546 मीटर मार्ग के दोनों तरफ (364 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (80 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	27,664	2,736	2,052	2,052	2,052
	फेंसिंग हेतु राशि	2,91,200	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	2,730	270	210	210	210
	सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	1,72,661	1,17,661	93,248	93,248	93,248
कुल राशि = 9,01,852		4,94,455	1,20,667	95,510	95,510	95,510

19. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगवाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

2. अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिन्दु क्रमांक 1 के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुक्रम निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

5. डंपर प्लेसिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

6. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बायन्डी पिटवर्स द्वारा रीक्लेमेशन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

9. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

12. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुक्रम बनाकर जानकारी प्रस्तुत की जाए।

13. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये पुनरीक्षित कर प्रस्तुत किया जाए।

14. क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों के पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

(ब) समिति की 435वीं बैठक दिनांक 28/11/2022:

समिति द्वारा बैठक दिनांक 28/11/2022 को क्लस्टर के प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उन्हें पूर्व में निर्देशित जानकारी/दस्तावेज एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ कार्यालय में प्रस्तुत करने पर विचार कर, उन्हें निर्देशित किया गया।

समिति द्वारा नवीन प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. समिति का मत है कि सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं ट्रांसपोर्टेशन कार्य के मॉनिटरिंग एवं परीक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं ट्रांसपोर्टेशन का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
2. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली द्वारा सर्मेंट पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार बिन्दुवार उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1880/खनि 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 21/10/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 4 खदानें, क्षेत्रफल 5.384 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–चंवरडाल) का क्षेत्रफल 2.02 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–चंवरडाल) को मिलाकर कुल खदानों का क्षेत्रफल 7.404 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की 431वीं बैठक दिनांक 28/10/2022 के परिक्रम में चाही गई वांछित जानकारियों/ दस्तावेजों/ अभिलेखों को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (तथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को सम्मिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

4. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने हेतु लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार किये उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स श्रीमती नीलम पोद्दार (ओवरहेड लाईन स्टोन माईन) को ग्राम–पंचरहाल, तहसील व जिला–राजनांदगांव के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 341/1 में स्थित चूना पत्थर (मीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल – 2.02 हेक्टेयर, क्षमता–49,999 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की सशर्त अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/01/2023 को सम्पन्न 137वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स श्रीमती नीलम पोद्दार (ओवरहेड लाईन स्टोन माईन) को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

2. सी.ई.आर. के तहत् व्यय राशि (परियोजना की कुल लागत करोड़ 60 लाख का 2 प्रतिशत) को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (Forest Development Corporation) में जमा किये जाने एवं इसकी सूचना एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (Forest Development Corporation) को खदान के समीपस्थ वृक्षारोपण कार्य हेतु सी.ई.आर. की राशि (कुल राशि 1,20,000 रूपये) को परियोजना प्रस्तावक के प्राप्त कर एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को सूचित किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

3. एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 431वीं बैठक दिनांक 28/10/2022 के परिक्रम में चाही गई वांछित जानकारियों/दस्तावेजों/अभिलेखों को प्रस्तुत किये जाने के उपरांत एवं नियमानुसार जानकारी/दस्तावेज पूर्ण होने की स्थिति में ही परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

4. This Environmental Clearance (EC) is subject to order/judgment of Hon'ble Supreme Court of India, Hon'ble High Court, Hon'ble National Green Tribunal (NGT) and any other Court of Law, Common Cause Conditions as may be applicable.

5. The Project Proponent shall comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and Others before commencing the mining operations.

6. The State Government shall ensure that mining operations shall not be commenced till the entire compensation levied if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of Judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and Others.

7. The Project Proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CC OM No. Z-11013/57/2014-IA.II(M) dated 29/10/2014 titled Impact of Mining activities on Habitations-Issues related to the mining projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area.

8. The Project Proponent shall inform to MoEF&CC/SEIAA for any change in ownership of the mining lease. In case there is any change in ownership or mining lease is transferred, Project Proponent need to apply for transfer of Environmental Clearance as per provisions of the para 11 of EIA Notification, 2006, as amended from time to time.

This Environmental Clearance shall be effective from the date of submission of requisite documents as prescribed/recommended by SEAC for this project.

एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/02/2023 के परिशिष्ट में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/07/2023 को प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 04/08/2023 को संपन्न 152वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर में आवेदन किया जाना बताया गया है, जो अग्रसर है। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने उपरांत जमा किये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिन्दु क्रमांक 1 के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

3. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 2286, दिनांक 16/02/2023 द्वारा सी.ई.आर. के तहत् व्यय राशि (परियोजना की कुल लागत रूपये 60 लाख का 2 प्रतिशत) को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (Forest Development Corporation) में जमा किये जाने एवं इसकी सूचना एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को दिये जाने हेतु प्रबंधन निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, नया रायपुर अटल नगर को पत्र प्रेषित किया गया था। इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (Forest Development Corporation) से आज दिनांक तक जानकारी/पत्राचार प्राप्त नहीं हुआ है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
60	2%	1.20	Following activities at, Village- Chavardhal	
			Pavitra Van Nirman	10.74
			Total	10.74

सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" वृक्षारोपण (नीम, आम, जामुन, कटहल, जंगम, कर्रा आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,008 नग पौधों के लिए राशि 1,47,384 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,02,700 रूपये, खाद के लिए राशि 14,560 रूपये एवं सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रूपये तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 54,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 4,38,614 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 6,36,574 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत चवरडाल के सहमति उपरांत वृक्षारोपण स्थान (खसरा क्रमांक 391/1, क्षेत्रफल 1.212 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

प्रतिवेदन का मत है कि सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् किये गये वृक्षारोपण का 5 वर्ष उपरांत, उसके संरक्षण की जिम्मेदारी के संबंध में संबंधित ग्राम पंचायत से सहमति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित मानदण्डानुसार वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

5. कंट्रोल बफरिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बारगढ़ी पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्र.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

12. पर्यावरणीय प्रदूषण उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किया जायेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

14. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

15. भविष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं उत्खनन क्षमता से अधिक उत्खनन कार्य नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

16. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भराव में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

17. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कंटिन्यूस कन्टूर वृक्षारोपण कार्य किया जाएगा। लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी एवं कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले वृक्षारोपण तथा सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यों की जानकारी जियोटैग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित करते हुये प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

18. सी.ई.आर. के अंतर्गत किये जाने वाले वृक्षारोपण का 05 वर्षों तक रख-रखाव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. जनसुनवाई के दौरान विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रार्थियों के समक्ष दिये गये आश्वासन को पूरा करने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के तहत तय की गई राशि का उपयोग पर्यावरण के हित में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. समिति द्वारा निर्धारित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. आरक्षित क्षेत्र में स्थित वृक्षों की प्रजातियों की जानकारी प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही उक्त वृक्षों की आवश्यकता पड़ने पर ही कटाई वन्य प्राधिकारी से अनुमति उपरांत ही किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. पर्यावरणीय संस्कृति (ईसी) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) और किसी भी अन्य न्यायालय के आदेश/निर्णय के अधीन है, सामान्य कारण की शर्तें जो लागू हो सकती है, सभी शर्तों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा "We will Comply the mitigation measures provided in MOEF&CC OM No. Z- 11013/57/2014-IA.II(M) dated 29/10/2014 titled Impact of Mining activities on Habitations- Issues related to the mining projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area." बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा "We will Comply, we inform to MOEF&CC/SEIAA for any change in ownership of the mining lease. In case there is any change in ownership or mining lease is transferred, Project Proponent need to apply for transfer of Environmental Clearance as per provisions of the para 11 of EIA Notification, 2006, as amended from time to time." बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की गई है। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु जानकारी प्रस्तुत की गई है।

27. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये पुनःलिखित कर प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत "चरित्र वन निर्माण" के तहत किये गये वृक्षारोपण का 5 वर्ष उपरांत, उसके संरक्षण की जिम्मेदारी के संबंध में संबंधित ग्राम पंचायत से सहमति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. **मेसर्स पीतढ़ारी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री मतलदीन जायसवाल), ग्राम–पीतढ़ारी, तहसील–कसडोल, जिला–कोरबा (छत्तीसगढ़ का नवमी क्रमांक 1882)**

आवेदन – पूर्व में प्रकरण नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 198140/2021, दिनांक 13/02/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया था। वर्तमान में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के परिपेक्ष्य में श्री राज किशोर चन्द्राकर द्वारा दिनांक 01/01/2022 को लिखापत प्रस्तुत किया गया है।

एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 द्वारा मेसर्स पीतढ़ारी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री मतलदीन जायसवाल) की ग्राम–पीतढ़ारी, तहसील–कसडोल, जिला–कोरबा के खसरा क्रमांक 425 में स्थित स्टोन (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर, क्षमता – 33,037 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है।

श्री राज किशोर चन्द्राकर द्वारा दिनांक 01/01/2022 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त एवं उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु प्रस्तुत आवेदन का विधिवत जीव वाहन पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

- आबादी, सैन्यिक संस्थान, अस्पताल से नियमानुसार प्रतिबंधित दूरी कम है।
- खदान क्षेत्र से 10 कि.मी. परिधि क्षेत्र अंतर्गत आरक्षित/संरक्षित वन की सीमा है।
- खदान में 6 मीटर सीमित गहराई तक के लिए उत्खनन पट्टा स्वीकृत किया गया है। वर्तमान में प्रस्तुत माईनिंग प्लान में 4 मीटर गहराई पर उत्खनन किया जाना उल्लेखित है। जो कि कितने मीटर गहराई तक उत्खनन किया जाएगा स्पष्ट नहीं है।
- पट्टेदार द्वारा ओवर बर्डन को क्षेत्र की ऊंचाई स्तर से 1.5 मीटर तथा क्षेत्रफल 45^2 से अधिक ओवर बर्डन डम्प किया जाकर नियम विरुद्ध मिट्टी/मुरूम को डम्प किया जा रहा है। साथ ही वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- वर्षा जल से सतही जल स्त्रोत प्रभावित न हो, को रोकने के लिए रिटेनिंग वॉल तथा गारलेण्ड की व्यवस्था नहीं की गई है।
- जीव क्षेत्र के चारों तरफ 7.5 मीटर का सेफ्टी जोन नहीं बनाया गया है तथा 4 मीटर के मीटर सेट डम्प किया जा रहा है।
- वर्ष 2016 में क्षमता 60,000 घनमीटर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया था, जिसे वर्ष 2021 में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा क्षमता 33,000 टन की अनुमति दिया गया है। पुनः पट्टेदार द्वारा क्षमता

2,00,000 टन के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र इसी वर्ष पुनः प्रस्तुत किया गया है, जो कि नियम विरुद्ध है।

- पट्टेदार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा बार-बार पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जा रही है, जो कि नियम विरुद्ध है। अतः जाँच कराई जाए एवं पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/02/2022 को सम्पन्न 118वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उपरोक्त शिकायत की जाँच करने हेतु डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण एवं श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा को सम्मिलित करते हुये तीन सदस्यीय उपसमिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया। तीन सदस्यीय उपसमिति स्थल का निरीक्षण करेगी तथा अवलोकन स्थिति से अवगत करायेगी। अतः उपसमिति से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/03/2022 द्वारा डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण एवं श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा को स्थल निरीक्षण किये जाने हेतु सूचित किया गया। तदानुसार उपसमिति द्वारा दिनांक 24/03/2022 को स्थल निरीक्षण कर दिनांक 28/04/2022 को निरीक्षण प्रतिवेदन प्रेषित किया गया।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/05/2022 को सम्पन्न 122वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज/निरीक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि प्रेषित निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है–

"निरीक्षण के समय एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ द्वारा गठित उपसमिति के तीन सदस्य डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं श्री एन. के. चन्द्राकर, सदस्य, एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ तथा श्री अमृत साहू, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा के साथ-साथ श्री उत्तम खूंटे, खनि निरीक्षक, पट्टेदार श्री नारायण अग्रवाल एवं श्री खनि सिंघाड़े भी उपस्थित थे।

पत्र में उल्लेखित शिकायत का बिंदुवार विवरण एवं निरीक्षण जाँच में पाई गई जानकारी निम्नानुसार है–

1) **आबादी, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल से नियमानुसार प्रतिबंधित दूरी से कम है।**

समिति द्वारा जाँच करने पर पाया गया है कि लीज क्षेत्र से सन्निकट आबादी की दूरी लगभग 800 मीटर है, जो कि छत्तीसगढ़ लघु खनिज अधिनियम, 2015 (यथा संशोधित) के अनुसार आबादी शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल से नियमानुसार प्रतिबंधित दूरी से अधिक है।

2) **अवैध क्षेत्र से 50 कि.मी. परिधि क्षेत्र के अन्तर्गत आरक्षित या संरक्षित वन की सीमा है।**

समिति द्वारा जाँच करने पर पाया कि लीज क्षेत्र से वन भूमि दूरी लगभग 520 मीटर है, जो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 (यथा संशोधित) पट्टेदार को आवंटित क्षेत्र, वन क्षेत्र की निर्धारित दूरी की सीमा के बाहर है।

3) **खदान में 6 मीटर सीमित गहराई तक के लिए उत्खनन पट्टा स्वीकृत किया गया है वर्तमान में प्रस्तुत माइनिंग प्लान में 6 मीटर गहराई तक उत्खनन किया जाना उल्लेखित है जो कि कितने मीटर गहराई तक उत्खनन किया जाएगा स्पष्ट नहीं है।**

पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार 15 मीटर गहराई तक उत्खनन करने की योजना का उल्लेख है निरीक्षण के समय पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक को स्वीकृत उत्खनन पट्टा क्षेत्र एक छोटी पहाड़ीनुमा (small hillock) में अवस्थित क्षेत्र है। अतः योजना में प्रस्तावित गहराई न होकर ऊंचाई से सम्बंधित है। वर्तमान में स्वीकृत पट्टा क्षेत्र के एक छोटे से भाग में उत्खनन किया जा रहा है जो लगभग 15 मीटर है, माइंस एक्ट, 1952 के अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई खोदने पर सुरक्षा नियम लागू होता है। अतः उपरोक्त गम्भीर शिकायत जाँच की कार्यवाही हेतु संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ / डीजीएमएस को लेख किया जाना उचित होगा।

4) **पट्टेदार द्वारा ओवर बर्डन डंप की ऊंचाई सतह से 1.5 मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक डंप किया जाकर नियम के विरुद्ध मिट्टी/मुरूम को डंप किया जा रहा है साथ ही वृक्षारोपण नहीं किया गया है।**

यह शिकायत का बिंदु माइंस एक्ट एवं सेफ्टी रूल से सम्बंधित है। अतः उपरोक्त जाँच की कार्यवाही हेतु संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म छत्तीसगढ़/डीजीएमएस को लेख किया जाना उचित होगा।

समिति के समक्ष यह भी संज्ञान में आया कि पट्टेदार द्वारा निर्धारित चौड़ी 7.5 मीटर वृक्षारोपण नहीं किया गया है, जो पर्यावरण नियमों के उल्लंघन है।

5) **वर्षा जल से मलबा जल प्रभावित न हो को रोकने के लिए रिटेनिंग वाल तथा गारलैंड की व्यवस्था नहीं की गई है।**

स्वीकृत क्षेत्र पहाड़ी होने के कारण वर्षा जल सतह में आता है, रिटेनिंग वाल तथा गारलैंड बनाया जाना था, जो नहीं बनाया गया है। पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्त अनुसार गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग पीण्ड का निर्माण नहीं किया गया है।

पट्टेदार द्वारा समिति के समक्ष यह संज्ञान में लाया गया कि खनिज क्षेत्र के समीप ही एक गड्ढा बनाया गया है जिसमें वर्षा जल संचित होकर ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है।

6) **लीज क्षेत्र के चारों तरफ 7.5 मीटर का सेफ्टी जोन नहीं बनाया गया है तथा 4 मीटर के भीतर वेस्ट डंप किया जा रहा है।**

स्वीकृत लीज क्षेत्र में 4 मीटर के दूरी तक वेस्ट डंप नहीं होना पाया गया है, उत्खनन क्षेत्र में 7.5 मीटर की सेफ्टी जोन नहीं छोड़ा गया है।

7) **वर्ष 2018 में क्षमता 60,000 घनमीटर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया था, जिसे वर्ष 2021 में राज्य स्तरीय पर्यावरण आघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा क्षमता 33,000 टन की अनुमति दिया गया था, पुनः पट्टेदार द्वारा क्षमता 2,00,000

टन के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र इस वर्ष पुनः प्रस्तुत किया गया है जो नियम विरुद्ध है।

खनिज अधिकारी कोरबा द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर 2016 से आज दिनांक तक निर्धारित सीमा 60,000 टन प्रतिवर्ष एवं 33,037 टन प्रतिवर्ष से अधिक खनन का उल्लेख नहीं किया गया है लेकिन आबंटित क्षेत्र में लीज क्षेत्र के बाहर खुदाई के प्रमाण मिले है जिसके असेसमेंट के लिए संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म छत्तीसगढ़/डीजीएमएस को लेख किया जाना उचित होगा।

उपरोक्त जाँच के समय पर्यावरण सम्बंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो उपसमिति के सदस्यों द्वारा उल्लेखित किया जाना आवश्यक समझा गया वो निम्नानुसार है:

- लीज क्षेत्र के चारों ओर केवल सीमा स्तम्भ स्थापित है। लीज क्षेत्र के चारों ओर नियमानुसार फेंसिंग कार्य नहीं किया गया है।
- 7.5 मीटर सीमा क्षेत्र के चारों ओर में वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- लीज क्षेत्र के आसपास निर्धारित सीमा के बाहर उत्खनन पाया गया है।

प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।"

प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त चर्चोपरान्त से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि–

1. बिन्दु क्रमांक 3 के परिप्रेक्ष्य में माइंस एक्ट, 1952 के अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई खोदने पर सुरक्षा नियम लागू होता है। अतः उसके पालन सम्बन्धी शिकायत जाँच की कार्यवाही हेतु संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ / डीजीएमएस को लेख किया जाए।
2. बिन्दु क्रमांक 4 के परिप्रेक्ष्य में ओवर बर्डन डंप की ऊंचाई मतलब से तथा सर्वोच्च के संबंध में जाँच की कार्यवाही हेतु संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ / डीजीएमएस को लेख किया जाए। साथ ही पट्टेदार द्वारा निर्धारित बाउंड्री 7.5 मीटर में वृक्षारोपण नहीं किये जाने के कारण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को लेख किया जाए।
3. बिन्दु क्रमांक 5 के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्त अनुसार सेटलिंग ड्रेन एवं सेटलिंग पोण्ड का निर्माण नहीं किये एवं बिन्दु क्रमांक 6 के परिप्रेक्ष्य में उत्खनन क्षेत्र में 7.5 मीटर की सेफ्टी जोन नहीं छोड़े जाने के कारण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को लेख किया जाए।
4. बिन्दु क्रमांक 7 के परिप्रेक्ष्य में आबंटित क्षेत्र में लीज क्षेत्र के बाहर खुदाई के प्रमाण मिले है, जिसके असेसमेंट के लिए संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म छत्तीसगढ़/डीजीएमएस को लेख किया जाए।
5. लीज क्षेत्र के चारों ओर नियमानुसार फेंसिंग कार्य नहीं किये जाने के लिए संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म छत्तीसगढ़/डीजीएमएस को लेख किया जाए। साथ ही लीज क्षेत्र के आसपास निर्धारित सीमा के बाहर उत्खनन किये जाने के कारण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत परियोजना प्रस्तावक

के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को प्रेषित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/06/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/08/2022 के माध्यम से तथ्य प्रस्तुत किये है। परियोजना प्रस्तावक के कथनानुसार–

- उपसमिति द्वारा किये गए निरीक्षण के दौरान पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों का पालन पूर्ण नहीं करने हेतु टिप्पणी की गई थी परन्तु निरीक्षण के उपरांत दिये गए दिशा–निर्देश अनुसार वर्तमान में वृक्षारोपण, गारलेण्ड ड्रेन का निर्माण तथा सीक पीट आदि का निर्माण कर लिया गया है। अतः उपसमिति पुनः निरीक्षण कर सकती है।

- चूंकि मेरी एक ही खदान है तथा कोविड के कारण उक्त खदान को ठीक से चला भी नहीं पाए है एवं मेरी स्थिति काफी दयनीय है। वर्तमान में अब मुझे ज्ञात हुआ है कि मेरे विरुद्ध वैधानिक एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना है। इस विषय में मुझे पहले कभी कोई नोटिस भी प्राप्त नहीं हुआ है अतः सुधार का एक मौका दिया जाए। मैं पर्यावरण स्वीकृति के समस्त नियमों का पालन करूंगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संपन्न 136वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/08/2022 के माध्यम से प्रस्तुत तथ्य अनुसार, वर्तमान में वृक्षारोपण, गारलेण्ड ड्रेन का निर्माण तथा सीक पीट आदि का निर्माण कर लिया जाना बताया गया है।

प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा उल्लेखित तथ्यों के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/10/2022 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया, जिसके परिपेक्ष्य में जानकारी आज दिनांक तक अपेक्षित है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 16/12/2022 को संपन्न 138वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. श्री मनीष सतीश द्वारा आवेदित खदान पर अवैध खनन एवं पर्यावरण स्वीकृति बिना ही अवैध खनन की जांच तथा पत्थर खदान की समस्त विस्तारण पर रोक लगाने तथा वैधानिक कार्यवाही किये जाने बाबत् शिकायत दिनांक 24/11/2022 को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

   "कोरबा जिले के ग्राम–घाटाडाली में खसरा क्रमांक 425/1 के 2 हेक्टेयर में भारतीय जनसंसद के द्वारा पत्थर खदान संचालित है इनके द्वारा पूर्व में फरवरी 13/02/2022 में अपने खदान के समस्त विस्तार के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन दिया था जिस पर आप के निकाय ने याचिकाकर्ता चंद्राकर के शिकायत पर दिनांक 24/03/2022 को जांच समिति ने पर्यावरण

नियमों के उल्लंघन तथा अवैध खनन जांच में पाया था। वैधानिक कार्यवाही के लिए पत्र लिखा था जिस खदान संचालक ने पुनः आप को यहां भ्रामकता एवं दुष्प्रचारण की गलत जानकारी देकर पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए झूठा पत्र दिया है।

अतः शिकायत के निम्न बिंदुओं की विस्तृत जांच कर खदान महाधीन जायसवाल एवं नेहानल हाइवे 140-बी का घोषा से उनका निर्माण करने वाली कंपनी जिनको इन्होंने अनुबंध के तहत उक्त खदान सौंप दिया, पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

- उक्त खदान के उत्पादन क्षमता विस्तारण के लिए माइनिंग प्लान में जो RL- 310 मीटर दिया है, उसकी आज वर्तमान समय में क्या स्थिति है?
- उक्त खदान में RL- 310 से कितने मीटर गहरे RL तक उक्त खदान संचालक एवं कंपनी द्वारा बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के कितनी मात्रा में अवैध खनन किया है?
- उक्त खदान के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध माइंस सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया गया, जिसमें कि प्लान में दिए गए बैंच बनाने का नियम का सीधा उल्लंघन किया गया।
- उक्त खदान से कोरबा वन क्षेत्र के नारंगी वन खण्ड खसरा 425 से कितनी दूरी है या वन विभाग से प्रतिवेदन प्राप्त कर जांच की जाए एवं कितनी रकबा वन विभाग के नारंगी वन में अवैध खनन किया गया है कि जांच की जाए।

उपरोक्त बिंदुओं की आपकी समिति द्वारा पुनः आवेदित स्थल का निरीक्षण कर उक्त खदान संचालक एवं कंपनी पर पर्यावरणीय स्वीकृति उल्लंघन पर कड़ी कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।"

प्राधिकरण द्वारा तत्पश्चात कार्यसूची से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा उल्लेखित तथ्यों तथा वर्तमान में दुष्प्रचारण, पारलेण्ड ट्रेन का निर्माण तथा कोल पीट आदि का निर्माण कर लिये जाने के संबंध में एवं शिकायतकर्ता (श्री मनीष सतीर) द्वारा प्रेषित शिकायत के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को स्थल निरीक्षण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए। साथ ही अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुये उपरयुक्त फोटोग्राफ्स दिनांक सहित बिन्दुवार निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। अतः छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/01/2023 द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को स्थल निरीक्षण किये जाने हेतु पत्र लेख किया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में निरीक्षण प्रतिवेदन आज दिनांक तक अप्राप्त है।

वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा शिकायतकर्ता (श्री मनीष सतीर) द्वारा प्रेषित शिकायत के संबंध में दिनांक 07/02/2023 को पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 03/03/2023 को संपन्न 140वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज/पत्र का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:-

"मनीष राठौर, पिता मेघलाल राठौर, निवासी खरसोर, जिला कोरबा द्वारा अपने आय की मा0 कार्यवाही बताकर आवेदक महाविन्ध्य आयसचाल को प्रेषित किया जा रहा है। आवेदक की ग्राम खटखुरी तहसील बलवाही (कसडोल) जिला कोरबा में संचालित चूनाखदान की माइंस है। जिसका रकबा 2 हेक्टेयर, खसरा नं. 425, अवधि 07.06.2010 से 07.06.2040 तक है। उक्त माइंस का संचालन विगत 13 वर्षों से पूर्ण नियम कायदों से किया जा रहा है। उक्त माइंस का मनीष राठौर द्वारा विगत दिनों से शिकायत करने पर तहसील बलवाही, क्षेत्रीय पर्यावरण बोर्ड कोरबा व DGMS Bilaspur द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण पश्चात कोई भी खनी माइंस के संचालन में नहीं पायी गयी। तहसीलदार बलवाही की जांच रिपोर्ट, क्षेत्रीय पर्यावरण बोर्ड कोरबा की जांच रिपोर्ट, माइनिंग की एसेसमेंट रिपोर्ट व DGMS Bilaspur की जांच रिपोर्ट इस आवेदन के साथ संलग्न है।

मनीष राठौर एक शातिर अपराधी है जिसके विरुद्ध कोरबा जिले के विभिन्न थाने में कई अपराध पंजीबद्ध है व कई मुकदमे न्यायालय में चल भी रहे है। मनीष राठौर के खिलाफ कोरबा जिले के हर थाने में शिकायत मौजूद है। इस आदतन अपराधी को अभी विगत कुछ माह पूर्व ही हाई कोर्ट से जमानत मिली है। जमानत मिलने पश्चात यह फिर से अपने अवैध वसूली वाले कार्य में लिप्त हो गया है। इस अपराधी का अन्य कोई आय का स्रोत न होने पर भी यह शाही जिन्दगी जीता है। मात्र लगाकर लोगों से भयादोहन करना ही इसका एक मात्र पेशा है। मनीष राठौर के खिलाफ हुई शिकायत व कार्यवाही की कुछ प्रतियां इस आवेदन के साथ संलग्न है।

मेरी आयु लगभग 70 वर्ष हो चुकी है व मेरी आय का एकमात्र जरिया यही माइंस है। मैं मनीष राठौर द्वारा आये दिन की जाने वाली शिकायतों से तंग आ चुका हूं। मेरा शरीर भी जर्जर अवस्था में पहुंच गया है व कई बिमारियों का घर बन चुका है। मुझे निकट भविष्य में कोई शारीरिक क्षति होती है या मेरी मृत्यु होती है तो इसका जिम्मेदार पूर्ण रूपेण से मनीष राठौर ही होगा। मेरी आकस्मिक मृत्यु होने पर मनीष राठौर के खिलाफ इस पत्र के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाये तथा अभी वर्तमान में मनीष राठौर के उपर कड़ी कार्यवाही की जाये।"

प्राधिकरण द्वारा तत्पश्चात सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि पूर्व में निर्धारित स्थल निरीक्षण के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से आवेदन में स्थल का निरीक्षण किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए। साथ ही स्थल निरीक्षण के दौरान यदि शर्तों का पालन नहीं किया जाना पाया जाता है, तो परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/03/2023 के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/07/2023 को प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 04/08/2023 को संपन्न 152वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:-

1. सहायक संचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर अटल नगर द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, कोरबा प्रेषित पालन प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:-

- तहसीलदार बलौदा के प्रतिवेदन अनुसार उक्त स्वीकृत उत्खननिष्ठा के सीमांकन में रकबा 1.82 हेक्टेयर भूमि पर पत्थर उत्खनन किया गया है, जो कि स्वीकृत उत्खननिष्ठा रकबा 2 हेक्टेयर क्षेत्र के सीमा के अंदर पाया गया है। प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न है।

- निरीक्षण में 7.5 मीटर की परिधि में वृक्षारोपण किया जाना पाया गया। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वृक्षारोपण कार्य असफल है। माईन प्रबंधन द्वारा परिवहन मार्ग एवं समीप के रिक्त भूमि पर लगभग 500 नग वृक्षारोपण किया गया है, जिसमें से अधिकतम पौधे जीवित पाये गये।

- माईन प्रबंधन द्वारा कार्यक्षेत्र में गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग पोण्ड का निर्माण किया गया है। गारलेण्ड ड्रेन में वर्तमान में गाद का जमाव होना पाया गया।

- खनिज विभाग से संबंधित जानकारी प्रदान किये जाने के संबंध में खनिज अधिकारी जिला बलौदा बाजार के पत्र दिनांक 27/04/2023 के माध्यम से पत्र प्रेषित किया गया है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तानुसार 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया है तथा निरीक्षण के दौरान लीज क्षेत्र के चारों ओर नियमानुसार फेंसिंग, गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग पोण्ड का निर्माण कार्य नहीं किया गया था। अतः उक्त के संबंध में प्राधिकरण का मत है कि पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन नहीं किये जाने के कारण परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल को पत्र लेख किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्तानुसार **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि** परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल को पत्र लेख किया जाए।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

एजेण्डा आवंटन क्रमांक–6. नाम परिवर्तन हेतु प्राप्त आवेदन के संबंध में निर्णय लिया जाना।

1. **मेसर्स रेडिएन्ट कोल बेनीफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–बलौदा, तहसील–बलौदा, जिला–जांजगीर–चांपा**

ऑनलाईन आवेदन – प्रस्ताव नम्बर – एसआईए /सीजी /सीएमआईएन/ 298702/2023 दिनांक 04/05/2023। मेसर्स हिन्द इनर्जी एण्ड कोल बेनिफिसिएशन (इण्डिया) लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स रेडिएन्ट कोल बेनीफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर नामांतरित (Transfer) किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

प्रकरण का विवरण –

1. उपरोक्त बलौदा, तहसील–बलौदा, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1599, 1643, 1644, 1645, 1647,

1650, 1651, 1653 एवं अन्य, कुल क्षेत्रफल 14.83 एकड़, वेट लाईन कोल वॉशरी उत्पादन क्षमता–0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष की है।

2. पूर्व में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के क्रमांक 345, दिनांक 18/07/2017 द्वारा कलीदा, तहसील–कलीदा, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1599, 1643, 1644, 1645, 1647, 1650, 1651, 1653 एवं अन्य, कुल क्षेत्रफल 14.83 एकड़, वेट लाईन कोल वॉशरी उत्पादन क्षमता–0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु मेसर्स हिन्द इनर्जी एण्ड कोल बेनिफिसिएशन (इण्डिया) लिमिटेड के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

3. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर द्वारा वेट लाईन कोल वॉशरी उत्पादन क्षमता–0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 02/02/2022 को मेसर्स हिन्द इनर्जी एण्ड कोल बेनिफिसिएशन (इण्डिया) लिमिटेड के नाम से जारी की गई है, जो दिनांक 31/01/2025 तक की अवधि हेतु वैध है।

4. मेसर्स हिन्द इनर्जी एण्ड कोल बेनिफिसिएशन (इण्डिया) लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स रेडियन्ट कोल बेनीफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरण किये जाने बाबत् अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. मेसर्स रेडियन्ट कोल बेनीफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड द्वारा पूर्व में मेसर्स हिन्द इनर्जी एण्ड कोल बेनिफिसिएशन (इण्डिया) लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन किये जाने बाबत् अण्डरटेकिंग प्रस्तुत किया गया है।

6. मेसर्स हिन्द इनर्जी एण्ड कोल बेनिफिसिएशन (इण्डिया) लिमिटेड एवं मेसर्स रेडियन्ट कोल बेनीफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड द्वारा किये गये बिजनेस ट्रान्सफर एग्रीमेंट की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. मेसर्स हिन्द इनर्जी एण्ड कोल बेनिफिसिएशन (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा बोर्ड ऑफ रिसोल्यूशन की प्रति प्रस्तुत की गई है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 04/08/2023 को संपन्न 152वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार निम्नवत उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि:–**

1. **RoC Certificate has not been submitted, please submit either a copy of Certificate of Incorporation pursuant to change of name from Hind Energy to Radiant Coal issued by Registrar of Companies, Ministry of Corporate Affairs or N.C.L.T. order.**

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वर्णित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स लखदातार कोल एण्ड मिनरल्स बेनीफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–नवनपुर–मिश्रवर्गज, तहसील व जिला–सूरजपुर

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /सीएमआईएन/ 298879/2023, दिनांक 08/05/2023। मेसर्स हिन्द मल्टी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स लखदातार कोल एण्ड मिनरल्स बेनीफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर नामांतरित (Transfer) किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण –

1. उद्योग औद्योगिक क्षेत्र, नवनपुर मिश्रवर्गज, तहसील व जिला–सूरजपुर स्थित प्लाट नं. 140–147, 163–165, 173–175 एवं 166–172, कुल क्षेत्रफल 5.74 एकड़, कोल वॉशरी क्षमता–0.6 मिलियन टन प्रतिवर्ष (ड्राई एयर डिग्रीज) की है।
2. पूर्व में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के क्रमांक 1325, दिनांक 27/01/2017 द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, नवनपुर मिश्रवर्गज, तहसील व जिला–सूरजपुर स्थित प्लाट नं. 140–147, 163–165, 173–175 एवं 166–172, कुल क्षेत्रफल 5.74 एकड़, कोल वॉशरी क्षमता–0.6 मिलियन टन प्रतिवर्ष (ड्राई एयर डिग्रीज) हेतु मेसर्स हिन्द मल्टी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।
3. क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, जिला–बलरामपुर द्वारा कोल वॉशरी क्षमता–0.6 मिलियन टन प्रतिवर्ष (ड्राई एयर डिग्रीज) हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 30/03/2022 को मेसर्स हिन्द मल्टी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के नाम से जारी की गई है, जो दिनांक 31/03/2025 तक की अवधि हेतु वैध है।
4. मेसर्स हिन्द मल्टी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स लखदातार कोल एण्ड मिनरल्स बेनीफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरण किये जाने बाबत् मेसर्स हिन्द मल्टी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का अभ्यर्पित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. मेसर्स लखदातार कोल एण्ड मिनरल्स बेनीफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड द्वारा पूर्व में मेसर्स हिन्द मल्टी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarize undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
6. मेसर्स लखदातार कोल एण्ड मिनरल्स बेनीफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का निगमन का प्रमाण पत्र (Certificate of Incorporation) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. मेसर्स हिन्द मल्टी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का 6 कम्पनीज एक्ट, 1956 की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. मेसर्स लखदातार कोल एण्ड मिनरल्स बेनीफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड द्वारा कोई ऑफ रिसीप्शन की प्रति प्रस्तुत की गई है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 04/08/2023 को संपन्न 162वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा

गलती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत कार्यवाही के निर्णय लिया गया कि:–**

1. **RoC Certificate has not been submitted, please submit either a copy of Certificate of Incorporation pursuant to change of name from Hind Energy to Radiant Coal issued by Registrar of Companies, Ministry of Corporate Affairs or N.C.L.T. order.**
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नेल्को टावर्स अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स रेडियन्ट कोल केनीकिलेशन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–कलौदा, तहसील–कालेर, जिला–जांजगीर–चांपा

ऑनलाईन आवेदन – प्रस्ताव नम्बर – एसआईए /सीजी /सीएमआईएन/ 200858/2023, दिनांक 08/05/2023। मेसर्स क्लीन कोल इन्टरप्राईजेस प्राईवेट लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स रेडियन्ट कोल केनीकिलेशन प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरित (Transfer) किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

प्रकरण का विवरण –

1. उपग्राम कलौदा, तहसील–कलौदा, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 1522/1, 2, 3, 4, 5, 6, 1524, 1573, 1574, 1575, 1576, 1578 एवं 1579/1, कुल क्षेत्रफल 11.25 एकड़, कोल वॉशरी उत्पादन क्षमता–0.9 मिलियन टन प्रतिवर्ष की है।
2. पूर्व में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के द्वारा क्रमांक 277, दिनांक 20/10/2009 द्वारा कलौदा, तहसील–कलौदा, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 1522/1, 2, 3, 4, 5, 6, 1524, 1573, 1574, 1575, 1576, 1578 एवं 1579/1, कुल क्षेत्रफल 11.25 एकड़, कोल वॉशरी उत्पादन क्षमता–0.9 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु मेसर्स क्लीन कोल इन्टरप्राईजेस प्राईवेट लिमिटेड के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।
3. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर द्वारा कोल वॉशरी उत्पादन क्षमता–0.9 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 29/03/2023 को मेसर्स क्लीन कोल इन्टरप्राईजेस प्राईवेट लिमिटेड के नाम से जारी की गई है, जो दिनांक 31/03/2025 तक की अवधि हेतु वैध है।
4. मेसर्स क्लीन कोल इन्टरप्राईजेस प्राईवेट लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स रेडियन्ट कोल केनीकिलेशन प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरण किये जाने बाबत् अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. मेसर्स रेडियन्ट कोल केनीकिलेशन प्राईवेट लिमिटेड द्वारा पूर्व में मेसर्स क्लीन कोल इन्टरप्राईजेस प्राईवेट लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अंकित शर्तों का पालन किये जाने बाबत् अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

e. मेसर्स वर्डीन कोल इन्फ्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड एवं मेसर्स रेडियन्ट कोल बेनीफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड द्वारा किये गये बिजनेस ट्रान्सफर एग्रीमेंट की प्रति प्रस्तुत की गई है।

f. मेसर्स वर्डीन कोल इन्फ्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड एवं मेसर्स रेडियन्ट कोल बेनीफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड द्वारा बोर्ड ऑफ रिसोल्यूशन की प्रति प्रस्तुत की गई है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 04/08/2023 को संपन्न 152वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि:–**

1. **RoC Certificate has not been submitted, please submit either a copy of Certificate of Incorporation pursuant to change of name from Hind Energy to Radiant Coal issued by Registrar of Companies, Ministry of Corporate Affairs or N.C.L.T. order**
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–6 **जिला कोरबा के 12 रेत घाटों को खनिज विभाग द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, उक्त पर्यावरण स्वीकृति को नदियों के भूहाने में होने वाली गंभीर क्षति के संबंध में तत्काल निरस्त करने बाबत् प्राप्त शिकायत पर विचार कर निर्णय लिया जाना।**

सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन दिनांक 04/07/2023 द्वारा श्री दिनेश यादव, सामाजिक कार्यकर्ता, वार्ड नं. 35, मकान नं. 33/89, शांति नगर, बिर रोड बालको, जिला–कोरबा के माध्यम से "जिला कोरबा के 12 रेत घाटों को खनिज विभाग द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, उक्त पर्यावरण स्वीकृति को नदियों के भूहाने में होने वाली गंभीर क्षति के संबंध में तत्काल निरस्त करने बाबत्" शिकायत प्रेषित किया गया है। शिकायत में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

"जिला कोरबा में खनिज विभाग द्वारा 35 नये रेत घाटों को चिन्हांकित किया गया है, इनमें से 12 नवीन रेत घाटों की पर्यावरण स्वीकृति हेतु आपके कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है, अगर आपके विभाग द्वारा इन नवीन रेत घाटों को पर्यावरण स्वीकृति दी जाती है तो भविष्य में रेत माफियों द्वारा बड़े पैमाने पर नदी के भूहाने की गंभीर क्षति रेत उत्खनन के लिए किया जाएगा जिससे निकट भविष्य में नदियों के अस्तित्व पर गंभीर विपरीत स्थिति निर्मित होगी और कालांतर में नदियों का वजूद ही खत्म हो जाएगा जिससे कहीं न कहीं पर्यावरण के परिस्थितिकीय पर

बजुद ही खाम हो जाएंगा जिससे कहीं न कहीं पर्यावरण के परिस्थितितंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा भविष्य में एक गहरे जल संकट की स्थिति इस क्षेत्र में देखने को मिलेगी, चूंकि रेत उत्खनन में जिन नियमों व शर्तों का पालन किया जाना होता है, उसे रेत माफियों द्वारा पूरा नहीं किया जाता रेत के बंदरबाट में नदियों को काफी नुकसान पहुंचाया जाता है, जिससे नदी के भूगर्भ में शुष्कता, जल भराव क्षमता में कमी आदि देखने को मिलती है।

नदियों के अस्तित्व बचाने हेतु कोरबा जिले के 12 नवीन रेत घाटों की पर्यावरण स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 04/08/2023 को सम्पन्न 152वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार किये उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–**

1. पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जिला कोरबा द्वारा 12 रेत घाटों से संबंधित प्रकरणों पर शिकायत के परिप्रेक्ष्य में भी परीक्षण किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।
2. शिकायतकर्ता (श्री मनीष सहीन) द्वारा प्रेषित शिकायत के संबंध में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की आगामी बैठक में उपसमिति का गठन कर स्थल निरीक्षण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए। साथ ही अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुये कालबद्ध कार्यक्रम दिनांक सहित बिन्दुवार निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ एवं परिवेशीय प्रभावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(अरुण प्रसाद सी.)
सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(देवाशीष दास)
अध्यक्ष,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(श्री दीपक सिन्हा)
सदस्य
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़